खण्ड-415, अंक-1
सोमवार, 29 ज्येष्ठ, शक संवत् 1917
(19 जून, 1995 ई0)

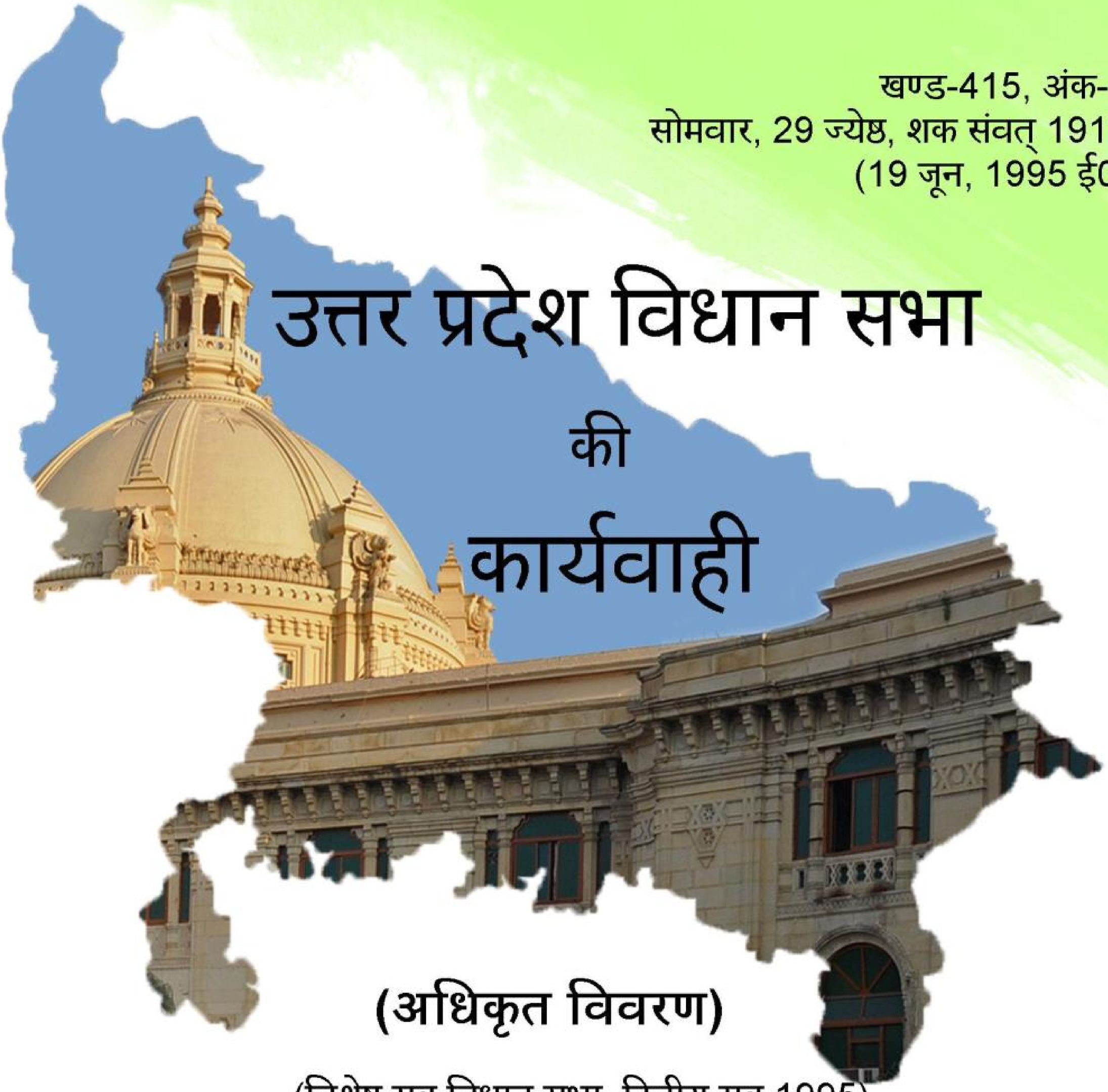

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(विशेष सत्र विधान सभा, द्वितीय सत्र 1995)

खण्ड 415 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची	क-ज
श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	झ
उपस्थित सदस्य	ट
राष्ट्रीय-गीत	1
श्री अध्यक्ष का सदन से बहिर्गमन तथा नव निर्वाचित सभापति श्री बी0 आर0 वर्मा द्वारा सदन का संचालन	1-2
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	2
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	2
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	2
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	3
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	3
उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	3
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	3
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	3
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	3
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	3
बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	4

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	4
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	4
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	4
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	4
उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	4
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	4
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	5
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	5
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	5
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 सदन के पटल पर रखा गया)	5
संविधान के अनुच्छेद 175 के खण्ड (2) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल का उत्तर प्रदेश विधान सभा को संदेश	5-7
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में श्री राज्यपाल का उत्तर	7
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 (विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त न होने की सूचना)	7
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	7-8
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	8

विषय	पृष्ठ-संख्या

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 8

नियम-110 के अन्तर्गत प्रस्ताव को लिये जाने की मांग .. 8

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 9

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 9

उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 की द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995 विधेयक, 1995 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) .. 9

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 10

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 10

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 11

श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा को भेजे गये संदेश के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल को बधाई.. 11-26

श्री राज्यपाल के संदेशानुसार सदन का संचालन श्री बी0आर0 वर्मा द्वारा किये जाने का प्रस्ताव (सर्वसम्मति से स्वीकृत) 27-28

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 28

उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) 29

आज की कार्यवाही में राष्ट्रीय-गीत के पश्चात् अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा द्वारा कृत-कार्यवाही अथवा घोषणा को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव (सर्वसम्मति से स्वीकृत) 29

विधान सभा के सदस्य श्री मीर मजहर अली उर्फ नन्हें मियां के निधन पर शोकोद्गार 29-32

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री जगन्नाथ मल्ल, श्री जोखई, श्री शिव प्रसाद नागर, श्री उमा शंकर मिश्र उर्फ भोलई महराज, श्री द्वारिका प्रसाद, श्री फूल सिंह "सौदाई", श्री चन्द्र शेखर सिंह तथा श्री सुखदेव प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार	33-36
भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के निधन पर शोकोद्गार	37-43
कार्य-मंत्रणा समिति के संबंध में प्रस्ताव को पढ़े जाने पर आपत्ति ..	43

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1–अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2–अकबर अली, श्री — जालौन
3–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
4–अखलाख, श्री — मेरठ
5–अखिलेश, श्री — महराजगंज
6–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
7–अक्षयवर भारती, श्री — मऊ
8–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
9–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
10–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11–अनिल कुमार, श्री — सीतापुर
12–अफजाल अन्सारी, श्री — गाजीपुर
13–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
14–अमरनाथ यादव, श्री — वाराणसी
15–अमर सिंह, श्री — अलीगढ़
16–अमर सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
17–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
18–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
19–अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
20–अम्बिका सिंह, श्री — देवरिया
21–अ० रईस, श्री — सुल्तानपुर
22–अरविन्द कुमार, श्री — ललितपुर
23–अरविन्द प्रताप सिंह, कुवर — फर्रुखाबाद
24–अरिमर्दन सिंह, श्री — हमीरपुर
25–अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
26–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
27–अवनीश कुमार सिंह, श्री — बदायूं
28–अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
29–अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री — उन्नाव
30–अशोक बाजपेई, श्री — हरदोई
31–आनन्द यादव, श्री — देवरिया
32–आर० के० चौधरी, श्री — इलाहाबाद
33–इन्द्रदेव सिंह, श्री — बिजनौर
34–इन्द्रपाल सिंह, श्री — इटावा
35–इन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
36–इरशाद, श्री — आजमगढ़
37–इश्तियाक अंसारी, श्री — गाजीपुर
38–इश्तियाक अहमद, श्री — बाराबंकी
39–उदय प्रकाश, श्री — हमीरपुर
40–उदय भान सिंह, श्री — आगरा
41–उपदेश सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
42–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
43–उमाशंकर यादव, श्री — जौनपुर
44–उर्मिला देवी यादव, श्रीमती — मैनपुरी
45–उर्मिला राजपूत, श्रीमती — फर्रुखाबाद
46–ऊदल, श्री — वाराणसी
47–ऊषा यादव, श्रीमती — एटा
48–ओंकार सिंह, श्री — एटा
49–ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
50–ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
51–ओम प्रकाश गुप्ता, श्री — सीतापुर
52–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
53–करन सिंह, श्री — मुरादाबाद
54–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

55–कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
56–काशी सिंह ऐरी, श्री — पिथौरागढ़
57–किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
58–किशन लाल, श्री — पीलीभीत
59–किशन लाल दिलेर, श्री — अलीगढ़
60–कृष्ण कुमार नवमान, श्री — अलीगढ़
61–कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री — गाजियाबाद
62–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली गढ़वाल
63–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
64–कोकब हमीद, श्री — मेरठ
65–गजराज सिंह, श्री — गाजियाबाद
66–गजाधर सिंह, श्री — रायबरेली
67–गनपत सिंह, श्री — महराजगंज
68–गया चरण दिनकर, श्री — बांदा
69–गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री — रायबरेली
70–गोपाल काली, श्री — मेरठ
71–गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री — अल्मोड़ा
72–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
73–घनश्याम शुक्ल, श्री — गोण्डा
74–घूरा राम, श्री — बलिया
75–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
76–चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
77–चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री — फर्रुखाबाद
78–चन्द्र मणि कान्त, श्री — बहराइच
79–चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री — मुरादाबाद
80–चन्द्र शेखर, श्री — गाजीपुर
81–चन्द्र शेखर सिंह, श्री — बस्ती
82–चरन सिंह, श्री — मेरठ
83–चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
84–चैनसुख भारती, श्री — जालौन
85–छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
86–छोटे लाल, श्री — हरदोई
87–छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
88–छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
89–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
90–जगदम्बा सिंह, श्री — बस्ती
91–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
92–जगदीश मुनि, श्री — हरिद्वार
93–जगन्नाथ प्रसाद, श्री — खीरी
94–जगरनाथ चौधरी, श्री — जौनपुर
95–जगराम सिंह, श्री — कानपुर नगर
96–जगवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
97–जदुरानी, श्रीमती — हरदोई
98–जमुना प्रसाद मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
99–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
100–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
101–जयराम कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
102–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा
103–जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री — इलाहाबाद
104–जवाहर लाल दिवाकर, श्री — इलाहाबाद
105–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
106–जुगेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
107–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
108–ज्योत्सना, श्रीमती — वाराणसी
109–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
110–तिलक राज बेहड़, श्री — नैनीताल
111–तीरथ राज, श्री — सोनभद्र
112–तुलसीदास राय चन्दानी, श्री — गोण्डा
113–तुलाराम सैनी, श्री — मुरादाबाद
114–तेजपाल सिंह, श्री — बिजनौर
115–तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

116–तेजपाल सिंह पंवार, श्री — हरिद्वार
117–तेज भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
118–त्रिपाल सिंह, श्री — मेरठ
119–दया सिन्धु शंखधार, श्री — बदायूं
120–दरोगा प्रसाद सरोज, श्री — आजमगढ़
121–दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
122–दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
123–दीनानाथ चौधरी, श्री — बलिया
124–दीनानाथ भाष्कर, श्री — वाराणसी
125–दीपक कुमार, श्री — उन्नाव
126–देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री — ललितपुर
127–दौलत राम, श्री — सीतापुर
128–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
129–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
130–धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री — बुलन्दशहर
131–धामू राम भाष्कर, श्री — फैजाबाद
132–धीरेन्द्र बहादुर सिंह, — खीरी
133–धू राम चौधरी, श्री — हमीरपुर
134–नजमउद्दीन, श्री — इलाहाबाद
135–नन्द किशोर मिश्र, श्री — देवरिया
136–नन्द लाल, श्री — सुल्तानपुर
137–नन्द लाल सिंह पटेल, एडवोकेट, श्री — इलाहाबाद
138–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
139–नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
140–नरेन्द्र सिंह, श्री — मैनपुरी
141–नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
142–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री — कानपुर देहात
143–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
144–नरेश अग्रवाल, श्री — हरदोई
145–नवल किशोर, श्री — बुलन्दशहर
146–नसीम भाई, श्री — मऊ
147–नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
148–निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — खीरी
149–निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
150–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
151–परमानन्द दण्डी, स्वामी — रामपुर
152–परशुराम यादव, श्री — फैजाबाद
153–पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
154–पीतम सिंह, श्री — एटा
155–पुत्तू सिंह यादव, श्री — शाहजहांपुर
156–पूर्णमासी देहाती, श्री — देवरिया
157–पृथ्वी सिंह विकसित, श्री — हरिद्वार
158–प्रणत पाल सिंह, श्री — मथुरा
159–प्रताप सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
160–प्रभा रावत, श्रीमती — गोरखपुर
161–प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
162–प्रवीण सिंह ऐरन, श्री — बरेली
163–प्रीतम सिंह, श्री — देहरादून
164–प्रीतम सिंह, श्री — मुरादाबाद
165–प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री — सिद्धार्थनगर
166–प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
167–प्रेम सिंह, श्री — गाजियाबाद
168–फजलुर्रहमान अंसारी, श्री — बहराइच
169–फ्रेन्सिस डब्लू मूर, श्री नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय — इलाहाबाद
170–फौजदार प्रसाद, श्री — मऊ
171–बंशीधर, श्री — नैनीताल
172–बचनू राम पटेल, श्री — वाराणसी
173–बच्ची सिंह रावत, श्री — अल्मोड़ा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

174–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
175–बदन सिंह, श्री — आगरा
176–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
177–बनवारी सिंह, श्री — बदायूं
178–बरकत अली खां, श्री — सुल्तानपुर
179–बी० आर० वर्मा, श्री — आजमगढ़
180–बरफिया लाल जुवांठा, श्री — उत्तरकाशी
181–बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
182–बशीर उद्दीन, श्री — हमीरपुर
183–बाबू खां, श्री — हरदोई
184–बाबू राम यादव, श्री — मैनपुरी
185–बाबू राम वर्मा, श्री — बस्ती
186–बाबू लाल, श्री — उन्नाव
187–बाल गोविन्द राजवंशी, श्री — सीतापुर
188–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
189–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
190–बालेश्वर यादव, श्री — देवरिया
191–बाबन सिंह — गोण्डा
192–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
193–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
194–बेचन राम, श्री — गोरखपुर
195–बेनी प्रसाद, श्री — बाराबंकी
196–बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
197–ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री — फर्रुखाबाद
198–ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
199–भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
200–भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री — लखनऊ
201–भगवती प्रसाद सागर, श्री — कानपुर देहात
202–भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
203–भागवत पाल, श्री — मिर्जापुर
204–भैरो प्रसाद मिश्र, श्री — बांदा
205–मंजूर अहमद, श्री — बरेली
206–मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
207–मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
208–मदन भइया, श्री — मेरठ
209–मनोरमा, श्रीमती — कानपुर देहात
210–मन्नू लाल कुरील, श्री — बांदा
211–मयंकर सिंह, श्री — बहराइच
212–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
213–मसूद अहमद, डा० — फैजाबाद
214–महबूब अली, श्री — मुरादाबाद
215–महराज सिंह यादव, श्री — इटावा
216–महाबीर सिंह, श्री — बिजनौर
217–महाबीर सिंह, कुंवर — हरदोई
218–महिपाल सिंह यादव, श्री — बरेली
219–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री — आगरा
220–महेन्द्र पाल सिंह, श्री — बिजनौर
221–महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री — फतेहपुर
222–महेन्द्र सिंह माहरा, श्री (महू भाई) — पिथौरागढ़
223–महेश चन्द्र, श्री — कानपुर नगर
224–मातवर सिंह कण्डारी, श्री — टिहरी गढ़वाल
225–माम चन्द्र लाम्बा उर्फ मेमचन्द्र, डा० — सहारनपुर
226–माया शंकर पाठक, श्री — वाराणसी
227–मारकण्डेय सिंह, श्री — बलिया
228–मित्रसेन यादव, श्री — फैजाबाद
229–मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री — बदायूं
230–मुक्ति नाथ, श्री — देवरिया
231–मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
232–मुनव्वर हसन, श्री — मुजफ्फरनगर
233–मुनीश गौड़, श्री — अलीगढ़
234–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

235–मुलायम सिंह यादव, श्री — फिरोजाबाद
236–मेवा लाल बागी, श्री — वाराणसी
237–मोलई, श्री — गोरखपुर
238–मोहम्मद अरशद खान, श्री — जौनपुर
239–मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
240–मोहर सिंह, श्री — सहारनपुर
241–मोहसिन, डा० — गोरखपुर
242–यश पाल आर्य, श्री — नैनीताल
243–यश पाल चौधरी, श्री — खीरी
244–यश पाल सिंह चौधरी, श्री — सहारनपुर
245–योगेन्द्र कुमार सागर, श्री — बदायूं
246–रंगनाथ मिश्र, श्री — वाराणसी
247–रघुराज प्रताप सिंह, उर्फ राजा भइया, कुंवर — प्रतापगढ़
248–रघुवीर सिंह, श्री — एटा
249–रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
250–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
251–रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
252–रतन पाल पंवार, श्री — मुजफ्फरनगर
253–रमाकान्त यादव, श्री — आजमगढ़
254–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — देवरिया
255–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
256–रमेश कान्त लवानियां श्री — आगरा
257–रमेश चन्द्र चंचल, श्री — फिरोजाबाद
258–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० — चमोली गढ़वाल
259–रमेश बहादुर, श्री — प्रतापगढ़
260–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर — मेरठ
261–रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
262–रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री — देवरिया
263–रवीन्द्र शुक्ल, श्री — झांसी
264–राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
265–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
266–राजकुमार शिवहरे, श्री — बांदा
267–राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
268–राजबली यादव, श्री — आजमगढ़
269–राज बहादुर, श्री — गाजीपुर
270–राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
271–राजबीर सिंह, श्री — अलीगढ़
272–राजा राम त्यागी, श्री — रायबरेली
273–राजीव कुमार, श्री — नैनीताल
274–राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
275–राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
276–राजेन्द्र प्रसाद, श्री — लखनऊ
277–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
278–राजेन्द्र सिंह, श्री — बिजनौर
279–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
280–राजेश यादव, श्री — बदायूं
281–राजेश कुमार, श्री — वाराणसी
282–राधेश्याम, श्री — बाराबंकी
283–राधेश्याम गुप्ता, श्री — फतेहपुर
284–रानी देव लता, श्रीमती — सहारनपुर
285–राम अचल राजभर, श्री — फैजाबाद
286–राम अधार यादव, श्री — महराजगंज
287–राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
288–राम औतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
289–राम करन आर्य, श्री — बस्ती
290–राम किशोर बिन्द, श्री — वाराणसी
291–राम कुमार वर्मा, श्री — खीरी
292–राम कुमार शुक्ल, श्री — लखनऊ
293–राम कृष्ण वर्मा, इंजी० — मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

294–राम खेलावन, श्री — उन्नाव
295–राम गोपाल, श्री — खीरी
296–राम जीत भारद्वाज, श्री — वाराणसी
297–राम तेज, श्री — बहराइच
298–राम दर्शन यादव, श्री — आजमगढ़
299–राम दवर, श्री — जौनपुर
300–राम दास पाल, श्री — कानपुर देहात
301–राम देव पटेल, श्री — फैजाबाद
302–राम धनी, श्री — गाजीपुर
303–राम नरेश यादव, श्री — रायबरेली
304–राम पाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
305–राम प्रकाश, श्री — बस्ती
306–राम प्रकाश गुप्त, श्री — लखनऊ
307–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — फर्रुखाबाद
308–राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
309–राम प्रसाद टम्टा, श्री — अल्मोड़ा
310–राम प्रसाद, श्री — बुलन्दशहर
311–राम प्रसाद, श्री — बस्ती
312–राम बाबू हरित, डा० — आगरा
313–राम मूर्ति सिंह, श्री — शाहजहांपुर
314–राम लखन यादव, श्री — प्रतापगढ़
315–राम लखन वर्मा, श्री — फैजाबाद
316–राम लोटन सिंह पटेल, इन्जी० — मिर्जापुर
317–राम विशुन आजाद, श्री — गोण्डा
318–राम वीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
319–राम सजीवन निर्मल, श्री — इलाहाबाद
320–राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
321–राम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
322–राम सेवक सिंह, श्री — इलाहाबाद
323–राम सेवक सिंह, श्री — बदायूं
324–राम स्वरूप, श्री — एटा
325–राम स्वरूप शर्मा, स्वामी — मथुरा
326–राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
327–रामेश्वर दयाल, श्री — मैनपुरी
328–रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री — गोण्डा
329–रेखा छागला, श्रीमती — इटावा
330–लक्ष्मी चन्द्र, श्री — बुलन्दशहर
331–लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री — प्रतापगढ़
332–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
333–लाज कृष्ण गांधी, श्री — सहारनपुर
334–लालजी, श्री — वाराणसी
335–लालजी यादव उर्फ जोगी, श्री — जौनपुर
336–लाल बहादुर सिंह, श्री — प्रतापगढ़
337–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
338–वकार अहमद शाह, डा० — बहराइच
339–वासुदेव सिंह, श्री — बुलन्दशहर
340–विक्रम सिंह, श्री — बलिया
341–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
342–विजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
343–विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री — गोण्डा
344–विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
345–विश्वनाथ, श्री — देवरिया
346–विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री — गोण्डा
347–विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
348–विश्वम्भर सिंह, श्री — मथुरा
349–वीर अभिमन्यू सिंह, श्री — फतेहपुर
350–वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
351–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर
352–वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री — पीलीभीत
353–वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री — अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

354–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
355–शराफत यार खां, श्री — बरेली
356–शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती — सहारनपुर
357–शशि बाला भारती, श्रीमती — खीरी
358–शाकिर, श्री — देवरिया
359–शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
360–शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री — महराजगंज
361–शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
362–शिव दानी, श्री — इलाहाबाद
363–शिव प्रताप यादव, डा० — गोण्डा
364–शिव प्रताप शुक्ला, श्री — गोरखपुर
365–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
366–शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री — जालौन
367–शिव सागर लाल, डा० — उन्नाव
368–शिवेन्द्र, श्री — महराजगंज
369–शूरवीर सिंह सजवाण, श्री — टिहरी गढ़वाल
370–श्याम किशोर यादव, श्री — लखनऊ
371–श्याम देव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
372–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
373–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
374–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
375–श्रीराम, श्री — मिर्जापुर
376–श्रीराम यादव, श्री — जौनपुर
377–संग्राम सिंह यादव, श्री — बलिया
378–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
379–सज्जन पाल सिंह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
380–सतीश कुमार, श्री — बिजनौर
381–सतीश भाटिया, श्री — लखनऊ
382–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
383–सत्य प्रकाश, श्री — मुरादाबाद
384–सत्य प्रकाश विकल, श्री — आगरा
385–सत्येन्द्र सिंह, श्री — मुरादाबाद
386–सन्त बक्श रावत, श्री — लखनऊ
387–सफदर रजा खां, श्री — सुल्तानपुर
388–समई, श्री — आजमगढ़
389–समर पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
390–समीर भाटी, श्री — गाजियाबाद
391–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
392–सर्वराज सिंह, कुंवर — बरेली
393–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री — मुरादाबाद
394–सावित्री देवी, श्रीमती — जौनपुर
395–सियाराम सागर, डा० — बरेली
396–सुखदेव, श्री — आजमगढ़
397–सुखदेवी, श्रीमती — इटावा
398–सुधीर कुमार बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
399–सुन्दर पाल सिंह, श्री — सीतापुर
400–सुन्दर लाल दीक्षित, श्री — बाराबंकी
401–सुन्दर लाल लोधी, श्री — उन्नाव
402–सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री — बांदा
403–सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री — गढ़वाल
404–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
405–सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री — मुजफ्फरनगर
406–सुरेश पासी, श्री — प्रतापगढ़
407–सुरेश प्रताप सिंह चौहान, डा० — मुरादाबाद
408–सुरेश संगल, श्री — मुजफ्फरनगर
409–सुशीला सरोज, श्रीमती — हरदोई
410–सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
411–स्वयंवर चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
412–स्वामी नाथ, श्री — देवरिया
413–हरक सिंह रावत, श्री — गढ़वाल
414–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी

415–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
416–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
417–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
418–हरी किशन, श्री — कानपुर देहात
419–हरी शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
420–हरीश कुमार गंगवार, श्री — बरेली
421–हरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
422–हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी — रामपुर
423–हाजी मोहम्मद हयात्, श्री — मुरादाबाद
424–हीरा मनि पटेल, श्री — इलाहाबाद
425–हृदय नारायण दीक्षित, श्री — उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोती लाल वोरा

मंत्रि-परिषद्

1—सुश्री मायावती — मुख्य मंत्री ।

2—श्री राम लखन वर्मा — संसदीय कार्य मंत्री ।

नेता, विरोधी दल

रिक्त

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

कार्यवाहक-अध्यक्ष

श्री टी0 आर0 वर्मा

उपाध्यक्ष

रिक्त

अधिष्ठाता मण्डल

रिक्त

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 19 जून, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

1-अवधेश प्रसाद, श्री
2-आर0 के0 चौधरी, श्री
3-उमाकान्त यादव, श्री
4-उमा शंकर यादव, श्री
5-काशी सिंह ऐरी, श्री
6-गनपत सिंह, श्री
7-दीनानाथ भाष्कर, श्री
8-प्रभा रावत, श्रीमती
9-बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
10-मुलायम सिंह यादव, श्री
11-मोहर सिंह, श्री
12-रतन लाल पंवार, श्री
13-राम औतार मिश्रा, श्री
14-सतीश भाटिया, श्री
15-सुखदेव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 19 जून, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष—

राष्ट्रीय-गीत

वन्दे मातरम् ।

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

सुजलाम् ।

सुफलाम् ।

मलयज शीतलाम् ।

शस्य श्यामलाम् ।

मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

शुभ्र-ज्योत्स्ना पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

श्री अध्यक्ष का सदन से बहिर्गमन तथा नव-निर्वाचित सभापति श्री बी0 आर0 वर्मा द्वारा सदन का संचालन ।

श्री प्रमोद तिवारी—

अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी..

श्री नरेश अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष जी, सुनिये, अब पहले आप मेरी सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक निर्णय की घोषणा करता हूँ, उसके बाद ।

माननीय सदस्यगण, मैं इस असंवैधानिक सरकार.. "व्यवधान",

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा नारेबाजी ।) .. "व्यवधान" ..

(शोरगुल में कुछ सुनाई नहीं पड़ा और व्यवधान के बीच श्री अध्यक्ष अपना आसन त्याग कर चले गये । तत्पश्चात्, समाजवादी पार्टी के भी समस्त सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रणजीत सिंह सूदेव–

मान्यवर, मैंने कुछ सुना ही नहीं, बनीराम वर्मा जी ने क्या कहा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश । माननीय अध्यक्ष सदन से चले गये हैं अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री बी0 आर0 वर्मा को अध्यक्ष पद पर बिठाकर कार्यवाही की जाय ।

सभी संगत नियमों को निलम्बित करके, नियम-11 के अधीन मैं यह प्रस्ताव करता हूं ।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी–

मैं राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

सचिव, विधान सभा–

प्रश्न यह है कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रस्ताव रखा है, "माननीय अध्यक्ष सदन से चले गये हैं अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री बी0आर0 वर्मा को अध्यक्ष पद पर बिठाकर कार्यवाही की जाय ।" और जिसका समर्थन माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा ने किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

(इस समय 11 बजकर 04 मिनट पर माननीय श्री बी0आर0 वर्मा सभापति के रूप में अध्यक्ष आसन पर आसीन हुए । तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही उनके सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूँ ।

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) (द्वितीय) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधनद अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अप्राधिकृत लाटरी (निवारण) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (वेतन का विनियमन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

संविधान के अनुच्छेद 175 के खण्ड (2) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल का उ0 प्र0 विधान सभा को संदेश

श्री सभापति–

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 175 के खण्ड (2) सपठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 277 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश से प्राप्त संदेश दिनांक 17 जून, 1995 को मैं पढ़कर सुनाता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, चूंकि महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश सभी सदस्यों को प्राप्त हो गया है, इसलिये इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री सभापति–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से संदेश पढ़ा हुआ माना गया)

[संविधान के अनुच्छेद 175 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके मैं मोती लाल वोरा, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राज्य की विधान सभा को निम्नलिखित संदेश भेजता हूँ :-

1-19 जून, 1995 को औपचारिक कार्य और निधन के निर्देश होंगे ।

2-अध्यक्ष को हटाने के संकल्प और सुश्री मायावती के नेतृत्व वाले मंत्रि मण्डल में सदन का विश्वास व्यक्त करने के प्रस्ताव को, जिनकी सूचनाएं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के अधीन दी गयी हैं, 20 जून, 1995 की कार्यसूची में क्रम संख्या-1 और क्रम संख्या-2 पर सम्मिलित किया जायेगा ।

3-(क) अध्यक्ष को हटाने के संकल्प को अग्राह्य नहीं किया जायेगा और 20 जून, 1995 को सदन का उपवेशन प्रारम्भ होते ही उक्त संकल्प को लिये जाने के लिए सदन की अनुज्ञा मांगी जायेगी और यदि पूर्वोक्त नियमावली के नियम 271 के उप नियम (2) के अधीन सदन की अनुज्ञा प्राप्त हो जाय तो संकल्प पर तत्काल विचार किया जायगा और नीचे दिए गए पैरा-6 के अधीन रहते हुए जब तक संकल्प पर विचार और मतदान नहीं हो जाता, उपवेशन किसी भी दशा में स्थगित नहीं किया जायेगा ।

(ख) मत विभाजन द्वारा, न कि किसी अन्य रीति से, लिये जायेंगे और लिखित रूप से अभिलिखित किए जायेंगे, और सदस्यों के हस्ताक्षर सम्यक रूप से सत्यापित किए जायेंगे ।

(ग) अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर विचार किए जाते समय सदन का ऐसा सदस्य पीठासीन होगा जिसे सदन अवधारित करे ।

4-अध्यक्ष को हटाने का संकल्प सदन द्वारा स्वीकृत होने की दशा में एक घण्टे अन्तराल के बाद, अन्यथा तुरन्त, मद संख्या-दो लिया जायेगा ।

5-(क) सदन सुश्री मायावती के नेतृत्व वाले मंत्रि मण्डल में सदन का विश्वास व्यक्त करने वाले प्रस्ताव पर विचार करेगा और नीचे दिए गए पैरा-6 के अधीन रहते हुए, जब तक प्रस्ताव पर विचार और मतदान नहीं हो जाता तब तक सदन का उपवेशन किसी भी दशा में स्थगित नहीं किया जायेगा ।

(ख) मत विभाजन द्वारा, न कि किसी अन्य रीति से, लिये जायेंगे और लिखित रूप से अभिलिखित किए जायेंगे और सदस्यों के हस्ताक्षर सम्यक रूप से सत्यापित किए जायेंगे ।

6-यदि अप्रत्याशित और अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण 20 जून, 1995 के लिए नियत कार्य उस दिन नहीं लिया जाता है या पूरा नहीं होता है, तो उसे अगले दिन लिया जायेगा और पूरा किया जायेगा और यदि आवश्यकता हो तो कार्य पूरा होने तक दिन प्रतिदिन जारी रखा जायेगा ।

नोट:-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

7—उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 और अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश में किसी बात के होते हुए भी यह संदेश अभिभावी होगा ।

इस संदेश की एक प्रति विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी ।]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री सभापति–

दिनांक 1 फरवरी, 1995 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुये दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुये उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19(8) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूँ –

"प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपके अ0 शा0 पत्र सं0 577/वि0स0/संसदीय/25(सं0)/93, दिनांक 15 फरवरी, 1995 के लिए धन्यवाद ।

आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूँगा ।

सादर ।"

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 197 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत मैं घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 1995, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 3 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 6 फरवरी, 1995 को प्रेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 6 फरवरी, 1995 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 फरवरी, 1995

की उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 फरवरी, 1995 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 फरवरी, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा के अपने दिनांक 3 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था, तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 फरवरी, 1995 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 फरवरी, 1995 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आबाद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आबाद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 3 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 फरवरी, 1995 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 फरवरी, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 को उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव को लिए जाने की मांग

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियम 110 में मेरा प्रस्ताव ले लीजिए । मैं श्री धनीराम वर्मा के विरुद्ध प्रस्ताव दे रहा हूँ । आप मेरी बात को सुनें ।

(श्री नरेश अग्रवाल सदन के मध्य आ गए और वापस चले गए)

श्री सभापति–

इसके बाद सुनूंगा । आप जो कुछ कहेंगे सब सुनूंगा ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 फरवरी, 1995 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 फरवरी, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन, (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1995 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 6 फरवरी, 1995 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 फरवरी, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95) का द्वितीय अनुपूरक विधेयक 1995 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिए दिनांक 7 फरवरी, 1995 को पारेषित एवं प्राप्त कराया गया था और जो प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर विधान सभा को दिनांक 21 फरवरी, 1995 तक वापस नहीं लौटाए जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 198(5) के अन्तर्गत दिनांक 22 फरवरी, 1995 को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा गया जिसमें वह विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 मार्च, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया ।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री राम आसरे वर्मा, श्री उदल तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1995 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिए दिनांक 7 फरवरी, 1995 को पारेषित एवं प्राप्त कराया गया था और जो प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधान सभा को दिनांक 21 फरवरी, 1995 तक वापस नहीं लौटाए जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 198(5) के अन्तर्गत दिनांक 22 फरवरी, 1995 को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा गया जिसमें वह विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 मार्च, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[xxx] (व्यवधान)

श्री सभापति–

पाल जी जो कह रहे हैं वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा इसे कार्यवाही में न लिखा जाय ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सभापति–

अभी आप बैठ जायं, मैं सुन लूंगा ।

दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि दि इण्डियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1995, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिए दिनांक 7 फरवरी, 1995 को पारेषित एवं प्राप्त कराया गया था और जो प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर विधान सभा को दिनांक 21 फरवरी, 1995 तक वापस नहीं लौटाए जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 198(5) के अंतर्गत दिनांक 22 फरवरी, 1995 को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा गया जिसमें वह विधान सभा द्वारा पारित किया गया था पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया ।

नोट–[xxx] यह अंश श्री सभापति के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिए दिनांक 6 फरवरी, 1995 को पारेषित एवं प्राप्त कराया गया था और जो प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर विधान सभा को दिनांक 20 फरवरी, 1995 तक वापस नहीं लौटाए जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 198(5) के अन्तर्गत दिनांक 21 फरवरी, 1995 को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा गया जिसमें वह विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा को भेजे गए संदेश के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल को बधाई

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं जब सदन में यहां आया तो "वन्दे मातरम्" हुआ, जब "वन्दे मातरम्" होता है तो लोग श्रद्धा से खड़े होते हैं मान्यवर, उसके बाद सदन में क्या हुआ मैंने तो नहीं सुना और हमारे सदस्यों ने भी नहीं सुना।

(कांग्रेस दल की ओर से अनेक आवाजें–किसी ने नहीं सुना)

मान्यवर, इसके बाद में यह हुआ कि अध्यक्ष महोदय किसी कार्य से चले गए और आप उनके आसन पर आसीन हो गए और सदन की कार्यवाही चल ही रही है, और कुछ हुआ हो तो मैंने नहीं सुना, अगर किसी ने सुना हो तो मैं नहीं जानता। मैं तो यह समझता हूं कि सदन चल रहा है। मान्यवर, एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आपके नाम के शब्द में एक बड़ा खतरनाक शब्द लगा हुआ है "वर्मा" आप उसको निकाल दीजिए और आप केवल बरखू राम ही रहिए, यही ठीक रहेगा कहीं वही बीमारी आपको न लग जाय उससे दूर रहिएगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर देश संविधान से चलता है। भारत का संविधान बड़ा स्पष्ट है, कोई भी मुख्य मंत्री, कोई भी सदन, संविधान के अनुच्छेदों के अन्तर्गत, महामहिम राज्यपाल के निर्देशों से ही चलता है। आज हम सदन में यहां आए हैं, उनके निमंत्रण पर आए हैं, उनके निर्देश पर आए हैं। यह जो सदन की बैठक आहूत हुई है यह नियमानुसार महामहिम राज्यपाल जी ने आहूत की है, हम उसी में आए हैं, अन्यथा विशेष सत्र का कोई औचित्य नहीं है।

महामहिम राज्यपाल जी ने जो संदेश भेजा है, उस संदेश को पढ़कर सचिव ने सुनाया। मैं महामहिम राज्यपाल जी के इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) और इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उचित निर्णय लिया और संविधान की रक्षा की है। मान्यवर, चूंकि बरखुराम वर्मा जी लिखा हुआ है, आप कृपापूर्वक जो महामहिम राज्यपाल ने निर्देश दिया है सिर्फ उसी के अनुसार सदन चलाइयेगा, उसके बाहर न जाइयेगा यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उस संदेश के अनुसार, परम्परा के अनुसार सदन चलाइए । मैं समझता हूं कि जब विश्वास मत आयेगा तब विस्तार से वार्ता करेंगे, अभी तो वह नहीं आया है ।

मैं एक आग्रह करूंगा कि आज सबको बैठने में कष्ट हुआ है सबसे पहले दलों के स्थान नियत करें कहां कौन बैठेगा जब दलों के स्थान नियत हो जायें उसके अनुसार सदस्यों की जगह सुनिश्चित करें अन्यथा सदन व्यवस्थित नहीं चल पायेगा । मैं फिर आग्रह करूंगा कि जो संदेश भेजा है उसी के अनुसार कार्यवाही करें, उसमें जो अपेक्षा है मुख्यमंत्री जी के लिए, वे सदन में बहुमत साबित करें । जो अविश्वास प्रस्ताव है उस पर विस्तार से चर्चा करा लें जो अध्यक्ष जी के प्रति है, इन दोनों विषयों को लें । इसके साथ-साथ आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस सदन की गौरवशाली परम्परा की रक्षा के लिए महामहिम राज्यपाल जी ने जो संदेश भेजा है, उसमें सदन एक मत होकर उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करे । इसका प्रस्ताव मैं आपके माध्यम से रखता हूं ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, हम लोग सुबह आए, विधान सभा की कार्यवाही शुरू हुई विधिवत और उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी चले गए । जानकारी में यह आया कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है ।

(अनेक आवाजें आयीं कि–ऐसा नहीं सुना)

श्री सभापति–

ऐसा किसी माननीय सदस्य ने सुना नहीं होगा ।

श्री किरनपाल सिंह–

मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि सुना नहीं है, जानकारी में आया है । निधन के निर्देश भी सामने थे, एक बहुत बड़ा मुद्दा जिस पर सारे देश, प्रदेश, विदेश की आंखें लगी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक विवाद चल रहा है आगे कैसे चलेगा इसके बारे में निर्णय होना था । इस प्रदेश में गवर्नमेंट का बहुमत है या नहीं है यह निर्णय होना है, सीकर साहब के बारे में निर्णय होना था, महत्वपूर्ण मुद्दे सामने थे । लेकिन हम सबको अनिश्चित की स्थिति में छोड़कर अध्यक्ष जी चले गए । हमारे माननीय राम आसरे वर्मा जी जो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे और एक प्रस्ताव रख रहे थे...

श्री सभापति–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शान्ति बनाकर मा0 किरनपाल जी जो कह रहे हैं वह सुनें ।

श्री किरनपाल सिंह–

अध्यक्ष जी चले गए पता नहीं कहां चले गए ? इसके लिए श्री राम आसरे वर्मा जी उनके कृत्यों के प्रति एक निन्दा का प्रस्ताव लाना चाहते थे मगर आपने मौका नहीं दिया । यह जो उन्होंने कार्य किया यह कार्य सारे सदन को निन्दनीय लगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं भी निन्दा का प्रस्ताव लाया था ।

श्री सभापति–

इस प्रकरण पर मैं सभी माननीय नेताओं को बोलने का अवसर दूंगा । आप लोग कृपा एक-एक कर बोलें और सदन को कृपया शान्तिपूर्ण चलाएं ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी और श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री हृदय नारायण जी और शायद हमारे प्रमोद तिवारी जी भी निन्दा करना चाहते थे । पूरा सदन चल रहा था यह विधान सभा का अपमान हुआ है, महामहिम श्री राज्यपाल का अपमान हुआ है । मान्यवर, एक के बाद एक प्रदेश में एक पखवाड़े से ऐसी घटनाएं चल रही हैं, हर व्यक्ति अपने-अपने हिसाब से कानून और संविधान की व्याख्या करने में लगा हुआ है । जिनके हाथों में जिम्मेदारी सौंपी थी वह यह भूल गया है कानून और संविधान में लिखा हुआ है वह मानवता है, नैतिकता है वह कुर्सी में बैठकर भूल गया । मान्यवर, मेरा आपसे एक और आग्रह है कि निधन के निर्देश भी आज की कार्यसूची में हैं । यह पहली बार ऐसा मौका आया है जब निधन के निर्देश को, गवर्नमेन्ट बैठी है और अध्यक्ष महोदय छोड़कर चले गए । निधन के निर्देश को सदन में नहीं लिया गया यह बड़े ही अफसोस की बात है ।

मेरा आपसे आग्रह है कि जो देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश विधान सभा में बैठने वालों का गलत चित्रण जा रहा है, आज आप बैठे हैं तो जो धुंधलका था, उसमें उजाला आया है । आप, जो महामहिम श्री राज्यपाल जी के निर्देश हैं उसी के मुताबिक सदन का कार्य सम्पादित कराएं । इसके अतिरिक्त दो और मुद्दे सामने हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार इस प्रदेश में बनी है उसे बहुमत प्राप्त है या नहीं इसको आप दिखवा लें । आप तो विद्वान हैं आप इस प्रस्ताव को लें और इस पर चर्चा करवाएं ।

*श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए विषय में बोलने की अनुमति दी । श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) में जिसमें महामहिम श्री राज्यपाल को शक्तियां प्रदत्त हैं । उसमें यह है कि महामहिम श्री राज्यपाल विधायी कार्य के लिए सदन को आहूत करने की अधिसूचना जारी करते हैं और उसी प्रक्रिया में 19 जून, 1995 को इस सत्र को आहूत करने के लिए अधिसूचना उन्होंने जारी की । इस सत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में आहूत होने के बाद आज विधान सभा अध्यक्ष आसीन हुए और तत्काल बाद सदन को छोड़कर चले गए जिससे माननीय सदस्यों को निन्दा का प्रस्ताव करना पड़ा । आज पूरी दुनिया की निगाहें इस सदन की कार्यवाही के ऊपर लगी हुई हैं आज वह देखना चाहती है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी ने जो संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अन्तर्गत निदेश दिए हैं उसके अनुसार कार्यवाही सम्पादित होगी या नहीं होगी ? यह एक प्रश्न चिन्ह अभी लगा हुआ है कि संसदीय परम्पराओं के अनुरूप इस सदन की कार्यवाही का संचालन किया जायगा । अध्यक्ष जी उठकर चले गये, अध्यक्ष जी ने क्या पढ़ा, कुछ माननीय सदस्यों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना लेकिन इस सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए एक चनाव होना था, वह हुआ । मान्यवर, आज इस सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिये आप उस पद पर आसीन हुये हैं, हम सब इसके लिये आपको बधाई देते हैं, पूरा सदन बधाई देता है । मान्यवर, लगातार पिछले एक माह से इस सदन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा था, समाचार पत्रों में, वाद विवाद में, कि इस सदन की जो गरिमामयी परम्परायें रही हैं, उनकी रक्षा हो पायेगी ।

मान्यवर, पूरी दुनिया ने इस सदन से प्रजातंत्र में मार्गदर्शन लिया है, लेकिन इसी सदन के अध्यक्ष द्वारा पिछले एक माह से ऐसा आचरण किया जा रहा था, जिससे हम जैसे छोटे सदस्य अत्यन्त चिन्तित थे, व्यथित थे । उनके द्वारा अधिष्ठाता मंडल का गठन किया गया, उसमें भी किसी दल के नेताओं से राय नहीं ली गयी । यह सदन किसी एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि यह सदन परम्पराओं, नियमों से चलेगा यह सदन किसी एक व्यक्ति के मनमाने ढंग से नहीं चलेगा । यह सदन इन सारी भावनाओं से ऊपर है । उन्होंने केवल दो सदस्यों को, जो उनके अपने दल के थे, को अधिष्ठाता मण्डल में रखा, इससे पूरे लोगों ने महसूस किया कि इसमें सभी दलों के लोगों को होना चाहिए था । इसी तरह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया, उसमें भी सबसे ज्यादा अपने दल के लोगों को रख लिया, जबकि उसमें सत्तारूढ़ दल के लोगों की सदस्य संख्या ज्यादा होती है, इस कमेटी में किसी मंत्री को भी नहीं लिया गया ।

अखबारों में यह भी पढ़ने को मिला कि बहन मायावती जी लगातार उनसे मिलना चाहती थीं, लेकिन वह भी उससे मिल नहीं पाईं, यह सारी बातें इस सदन की गरिमा और मान सम्मान के खिलाफ हैं । महामहिम राज्यपाल जी ने अनुच्छेद 175(2) के अन्दर जो संदेश भेजा, उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को कोई अधिकार नहीं था कि वह उसको पुनर्विचार के लिए भेजे । इसके लिए केवल इस सदन को अधिकार है कि वह बहुमत द्वारा उन्हें दुबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकती थी । मान्यवर, एक परम्परा भी है कि "हाउस इज ए मास्टर आफ इट्स ओन बिजनेस" । अध्यक्ष जी ने इस पर सदन की राय भी नहीं ली और स्वयं उन्होंने इसे पुनर्विचार के लिए भेजा । महामहिम राज्यपाल की के निर्देशों के तहत यह लघु सत्र बुलाया गया है, और उन्होंने इसकी कार्यवाही का संचालन नहीं किया और सदन छोड़कर चले गये, यह केवल महामहिम का ही अपमान नहीं, वरन् पूरे सदन का अपमान है, इसीलिये हम लोग निन्दा का प्रस्ताव करते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस पर सबकी राय ले लें । इस

सदन की यही सारी चीजें भविष्य के लिये मार्ग दर्शन होती हैं । मैं यह भी चाहता हूं कि आप महामहिम राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप ही सदन की कार्यवाही चलायें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

सभापति जी, कृपया मेरी बात सुन लें ।

श्री सभापति–

अभी सबको मौका मिलेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

सबसे पहले मैंने इस विषय को उठाया, मैंने ही प्रस्ताव रखा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मुझे मालूम है कि कल्याण सिंह जी तैयार करके आये हैं, इसलिये आपके बोलने के बाद फिर किसी को बोलने का औचित्य रह नहीं जाता अतः पहले भा0 ऊदल जी बोल लें, निर्दलीय बोल लें, अन्य दलों के लोग बोल लें, फिर आप बोलें । आप तो अर्द्ध सरकारी शासनादेश हैं ।

*श्री ऊदल–

मान्यवर, बड़े दुःख के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं संसदीय इतिहास में आज जिस तरह की घटना माननीय अध्यक्ष के द्वारा यहां पर घटित हुई ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता । सर्वप्रथम "वन्दे मातरम्" के बाद आज की कार्यसूची में जिन हमारे साथियों के निधन हो गये हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हमको शोक प्रस्ताव पर अपने-अपने विचार रखने थे ।

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई, सत्य और अहिंसा के पुजारी तथा प्रसिद्ध गांधीवादी थे और जिनकी टक्कर का कोई आदमी हिन्दुस्तान में पैदा नहीं हुआ, उनके बारे में भी आज इस सूची में शोक प्रस्ताव लाया गया है : अगर माननीय अध्यक्ष को जाना ही था तो कम से कम हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते उसके बाद वह चाहे जो कुछ करते । लेकिन मुझे अफसोस है कि माननीय धनीराम वर्मा ने सारी परम्पराओं को तोड़-मरोड़ दिया है । जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उस पर राजर्षि पुरूषोत्तम दास टण्डन, सर्वश्री ए0जी0खेर, वासुदेव सिंह, जगदीश शरण अग्रवाल, नियाज हसन, केशरी नाथ त्रिपाठी जो हमारे बीच सदन में मौजूद हैं, इन्होंने जो रूलिंग दी है वह हमको याद आती है । इन लोगों ने इस कुर्सी के गौरव को हमेशा बढ़ाया है और इस विधान सभा का गौरव ऊंचा उठाया है । इसलिए मुझे दुःख है कि आज जो कुछ हुआ, वह संसदीय इतिहास में नहीं मिलेगा ।

आज जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप शोक प्रस्ताव को पहले ले लें । जो साथी आज हमारे बीच नहीं हैं, पहले हम उनके प्रति शोक-श्रद्धांजलि अर्पित करते । श्री हृदय नारायण दीक्षित जी ने नियम 110 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव आपके पास भेजा है उसके बारे में भी आप सुन लें और उस पर भी सदन की राय आ जाये । यही संक्षिप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रूप से आपसे निवेदन करना था । मुझे उम्मीद है कि आप ठीक प्रकार से परम्पराओं के अनुकूल, महामहिम राज्यपाल के संदेश के अनुकूल इस विधान सभा की कार्यवाही को चलायेंगे । बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन् मैं बड़े दुःख और खेद के साथ विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली के नियम 110 की सूचना आपको भेज चुका हूं । जिस आदरणीय पीठ पर आप बैठे हैं, उस पीठ के प्रति इस आदरणीय सदन में बैठने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य की न केवल श्रद्धा है बल्कि उत्तर प्रदेश के कोटि-कोटि लोग इस आदरणीय सदन के प्रति श्रद्धालु होते हैं और आप जिस पीठ पर बैठे हैं उसके प्रति भी सभी की श्रद्धा है लेकिन श्रीमन् इसी आदरणीय पीठ पर अभी आपसे थोड़ी देर पहले हमारे माननीय अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा पधारे और उन्होंने "वन्दे मातरम्" गीत जो हमारे राष्ट्रीय गीत के बराबर है उसको भी इतनी जल्दबाजी में समेटा जैसे कि कोई सरकारी दफ्तर का बाबू अपने घर जाने की जल्दी में हो और श्रीमन् मैंने स्वयं सुना कि वह "वन्दे मातरम" की कई पंक्तियां भी ठीक से नहीं पढ़ पाये । श्रीमन्, मैं अध्यक्ष पीठ पर बैठने वाले एक आदरणीय व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं । मुझे खेद है यद्यपि मुझे अध्यक्ष के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था लेकिन यदि ऐसा नहीं कहा जायेगा तो फिर ऐसी परम्परायें पैदा हो सकती हैं कि हमें आगे आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी और वे भी जिन लोगों ने हम लोगों को चुनकर यहां भेजा है, हम किसी भी प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पीठ पर बैठा देखते रहें और उन्हें समय-समय पर तमाम तरह के अपशब्द बोलते सुनते भी रहें, जो संसदीय इतिहास तथा इस धरती पर किसी भी आदरणीय सदन में किसी ने भी नहीं बोले होंगे । अभी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए माननीय नेताओं ने जो बिन्दु रखे हैं यद्यपि वे पर्याप्त हैं और जब माननीय श्री कल्याण सिंह जी बोलेंगे तो चीजें पूरी हो जायेंगी । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आदरणीय अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा जी आज जो कुछ भी यहां करके गये हैं, पता नहीं कहां से उनको यह बात पता चल गई किसी माननीय सदस्य की कोई बात कि "नजर बचाके चले गये, वरना कोई घायल कर देता ।"

ऐसा लगता है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता, जो रु0 5/- के सदस्य होने का ही दायित्व का निर्वहन किया है, वह यहां से इसी ढंग से चले गये हैं । वह दायित्व जिसे हमें संविधान निर्माताओं ने सौंपा है, इस देश की धरती के संविधान निर्माताओं ने हमें सौंपा है, जिस गद्दी पर आप बैठे हैं, इससे पूर्व में जिन लोगों ने इस गद्दी को सुशोभित किया है, उन लोगों ने जो दायित्व हमें सौंपा है, उन दायित्वों के बारे में श्री धनीराम वर्मा जी के मस्तिष्क में, और दृष्टि में कहीं कोई जगह नहीं रही । ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जो इस आदरणीय सदन को चलने देना नहीं चाहती थी, ऐसे भी कई अवसर आये, जब भी यहां पर कोई सुसंगत अवसर आये, जब भी इस प्रदेश की कोटि-कोटि जनता के हित के बारे में इस आदरणीय सदन में बैठे अग्रिम पंक्ति के नेताओं और समस्त विधायकों ने अपनी बात करने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी के श्री धनीराम वर्मा जैसे अध्यक्ष ने उनकी बातों को आदरणीय सदन की कार्यवाही में आने ही नहीं दिया ।

ऐसा भी हुआ लात-जूते भी चले, खून भी बहाया गया, परन्तु मेरे जैसा विनम्र संसदीय परम्पराओं में आस्था रखने वाला विद्यार्थी, उन घटनाओं को नहीं भूल सकता है। आज जो श्री धनीराम वर्मा जी ने किया वह एक समाजवादी पार्टी की साजिश का हिस्सा है। श्री धनीराम वर्मा जी का यहां आना, वह भी समाजवादी पार्टी की साजिश के एक हिस्से के रूप में उन्होंने यहां पर काम किया। समाजवादी पार्टी की साजिश को ही महत्व दिया और श्री राज्यपाल जी के निर्देशों का उन्होंने खुला उल्लंघन किया, एक प्रकार से उन्होंने स्पष्ट रूप में संविधान का उल्लंघन किया। "वन्दे मातरम्" को भी वह अस्पष्ट रूप से कह कर, यहां से इस तेजी से भागे कि हम लोगों को पता ही नहीं चला और किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि श्री धनीराम वर्मा जी को क्या तकलीफ है, मानसिक विकार है या कोई शारीरिक कष्ट है।

मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी के संदेश के बारे में आदरणीय श्री तिवारी जी ने जो बधाई दी है, मैं भी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ग्रुप की ओर से महामहिम को बधाई देता हूं। क्योंकि श्री राज्यपाल जी को पहले से ही शंका थी कि सदन में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं और माननीय अध्यक्ष बीच से ही उठकर भाग सकते हैं। श्री राज्यपाल जी ने अपने निर्देश में, जिसकी प्रति हमें भी उपलब्ध कराई गई है, सुस्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में यह सदन स्थगित नहीं होगा। मगर श्री धनीराम वर्मा जी "वन्दे मातरम्" कह कर चले गए। चूंकि इस समय विशेष परिस्थिति है, सुश्री मायावती जी की सरकार से सबको विशेष उम्मीदें हैं और उन्हें इस मौके पर मैं अपनी ओर से और अपने ग्रुप की ओर से बधाई देता हूं कि वह इस देश के, बहुत बड़े सूबे की मुख्यमंत्री हुई हैं। उन्हें बहुमत हासिल करना है। आज विश्व की निगाहें सदन की कार्यवाही पर लगी हुई हैं तो भी श्री धनीराम वर्मा चलते बने। मैंने नियम 110 में एक नोटिस आपके पास लिख कर भेजी है और यहां आदरणीय सदन के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि इस पर चर्चा कराएं ताकि इस पीठ पर बैठने वाले श्री अध्यक्ष महोदय भविष्य में कभी इस प्रकार का आचरण न कर सकें। मुझे विश्वास है कि नियम 110 में दी गयी नोटिस पर सुसंगत चर्चा करेंगे।

*श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम 110 के अंतर्गत तत्कालीन इस विधान सभा के अध्यक्ष माननीय धनीराम वर्मा जी के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव हमें इस कारण लाना पड़ा क्योंकि पिछले एक सप्ताह पूर्व देश में उत्तर प्रदेश विधान सभा की गरिमा गिराई गई। हम विधायकों की जो छवि जनता के बीच में रखी गयी उससे हम लोगों को बड़ा आघात लगा, उससे हम दुखी हुए। यद्यपि श्री धनीराम वर्मा जी ने कई बार काला इतिहास बनाने की कोशिश की, इस बार जो उनका कार्य है काला इतिहास बनाने का उसमें वह स्वतः कुर्सी को छोड़ कर चले गए इसलिए बधाई देता हूं।

नोट :– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन हमारा निन्दा प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि कम से कम इस सदन के माध्यम से निन्दा प्रस्ताव स्वीकार होकर जनता के बीच में चला जायेगा तो पूरे देश और विश्व की जनता समझेगी कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी विधान सभा की गरिमा को नहीं गिरा सकता है ।

यद्यपि माननीय कल्याण सिंह और माननीया नेता सदन मायावती ने भी कुछ ऐसा कार्य किया है जैसा कि अखबारों में आया है कि भाजपा के विधायकों को बंधक बना कर रखा गया है, बी0 एस0 पी0 के विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है (व्यवधान)

श्री सभापति–

माननीय सदस्य शांत रहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मुझे खुशी है (व्यवधान)

श्री छोटेलाल वर्मा–

यह कार्यवाही से निकाला जाय (व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

इसे कार्यवाही से निकाला जाय (व्यवधान)

श्री सभापति–

कृपया शान्त रहें । आप अपनी बात संक्षेप में कहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

इन लोगों से कहें सुनने की क्षमता रखें ।

श्री सभापति–

जो विषय विचाराधीन है उस पर ही ध्यान दें और अपनी बात रखें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैंने इसीलिए यह कहा कि 3, 4 दिनों से अखबार में यह न्यूज बन रही है उससे यह लग रहा है कि विधायकों को बंधक बनाया गया है ।

श्री सभापति–

माननीय नरेश जी उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसे सुन लूं ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

जिस ढंग से इस सदन में पूर्व अध्यक्ष जी ने अव्यवस्था पैदा की थी आपके पीठासीन होते ही वह अव्यवस्था समाप्त हो गयी । आपने नेताओं की बात सुनने के लिए कहा है तो सबसे बड़े दल के नेता माननीय कल्याण सिंह जी को कहें । मान्यवर, अगर यह व्यवस्था है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ नेता ही बोलें तो अच्छा होगा । (व्यवधान)

नोट:–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सभापति–

श्री रंगनाथ मिश्र जी इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है । मैंने श्री कल्याण सिंह से अनुरोध किया था और उन्होंने स्वीकार किया था, तो उसके बाद जितने माननीय नेता और सदस्य हैं उनको बुलवाने के बाद श्री कल्याण सिंह की जो राय मौजूदा परिस्थिति के बारे में है उसके बारे में सुनना चाहता था ।

(श्री कल्याण सिंह के खड़े होने पर, तालियों की आवाज)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरी पूरी बात आप सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री सभापति–

सभी माननीय सदस्य शान्त रहें और नरेश जी अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय सभापति [x x x] आप मेरी पूरी बात सुन लें और तब तक श्री कल्याण सिंह जी से आप कहें कि वह बैठ जाएं ।

श्री सभापति–

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह बैठ जाएं और श्री नरेश जी को अपने विचार दो मिनट में रखने दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं एक ही बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं । मान्यवर, मैं जो बात कह रहा था उस पर माननीय मिश्रा जी ने अपनी बात कह कर वजन दिया है । मान्यवर, मैं यह बात कह रहा था कि आज की कार्य सूची देख लें उसमें मद संख्या–23 में देखिये महामहिम राज्यपाल महोदय ने अनुच्छेद 175(2) के अंतर्गत सन्देश दिया हुआ है । आज हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने जो बात व्यक्त की है, आप नियमावली के नियम–21 को देख लें उसमें बड़ा स्पष्ट दिया है कि महामहिम राज्यपाल जब 174 और 175 में सन्देश देंगे तो अध्यक्ष को उस पर निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है । उन्होंने जो निर्णय लिया वह बिल्कुल गलत और निन्दनीय है ।

मैं प्रस्ताव कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल को सदन धन्यवाद देता है कि उन्होंने सदन की गरिमा रखी और श्री धनी राम वर्मा के प्रति निन्दा के प्रस्ताव पर चर्चा करा लें ।

नोटः–[xxx] यह अंश श्री सभापति के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री कल्याण सिंह–

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज इस पद पर इस सदन ने सर्वसम्मति से आपको बैठाया है ।

(मेजें थपथपाई गयीं)

मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूँ कि आप सभी सदस्यों की भावनाओं का समादर करते हुए सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से, निष्पक्ष तरीके से और स्वतंत्र चित्त से चलाने में सफल होंगे । मैं सुश्री मायावती जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि आज वह इस देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर हैं ।

(मेजें थपथपाई गयीं)

उनको और उनके दल की सरकार को हमारे दल का बिना शर्त समर्थन है । हम चाहते हैं कि उनकी सरकार अच्छे तरीके से, मजबूती से जनहित में चले । भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उनके साथ जारी रहेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

लिखा जा रहा है । सही-सही बोलियेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं मा0 नरेश जी द्वारा कही बात पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूँ । उनकी बात टिप्पणी करने लायक हो तो कुछ कहा जाय । हंस कर सुन लेते हैं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी के जमाने में जो लाड़ प्यार नरेश जी को मिलता था आपके जमाने में भी मिलता रहे (हंसी)

श्री कल्याण सिंह–

मैं आज इस विषय पर श्रीमन् आपके माध्यम से माननीय हृदय नारायण जी दीक्षित और उनके साथ जितने सदस्यों ने मिलकर समाजवादी लोकतांत्रिक मोर्चा बनाया है उन्हें बधाई देना चाहता हूँ ।

(मेजें थपथपाई गईं)

उन्होंने डेढ़ वर्ष की घुटन एवं गुलामी जैसी जिन्दगी से ऊबकर अपना स्वतंत्र फैसला लेने का निर्णय लिया । मेरा विश्वास है कि उनके इस कदम से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी । मैं श्रीमन् सर्वाधिक बधाई देना चाहता हूँ प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मोतीलाल वोरा जी को, जिन्होंने ऐसे संवैधानिक संकट के काल में विधि सम्मत और ऐतिहासिक निर्णय देकर प्रदेश को अनिश्चितता से बचाया, प्रदेश में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता से बचाया कदाचित पहला अवसर उत्तर प्रदेश के इतिहास में है राज्यपाल महोदय ने 175(2) की अन्तर्गत अपना संदेश भेजना पड़ा । संदेश अपने आप में पूर्ण

नोट :–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था उसमें कहीं भी बाल बराबर गुंजाइश उन्होंने नहीं छोड़ी कि कोई बाहर निकल कर जा सके । इस सदन ने उनके संदेश को सिर-माथे मानकर सारी कार्यवाही संचालन करने का संकल्प लिया है ।

मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के संदेश के पश्चात अब किसी का धन-बल नहीं चलेगा किसी का छल-बल नहीं चलेगा, किसी का बाहुबल नहीं चलेगा सब धरा का धरा रह गया ।

(मेजें थपथपाई गईं)

ये लोकतंत्र के लिए कैंसर है अगर इस तरह से आतंकित किया जाए, पैसे के बल पर पक्ष में किया जाए यह सब अपने प्रदेश में हो रहा है मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, चर्चा गली-गली हो रही है । संविधान बनाने वालों ने संविधान बनाया होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन-मस्तिष्क में कदाचित धनीराम वर्मा जी नहीं रहे होंगे । जिस समय विनियोग विधेयक पारित हो रहा था, राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था उस समय गिनती गलत की थी । पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं मैं समझता हूं कि 100 तक की गिनती जानते होंगे, लेकिन जानबूझ कर गिनती को गलत किया गया । फिर माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया, चाहे अधिष्ठाता मण्डल को भंग करने का काम हो चाहे अधिष्ठाता मण्डल के पुनर्गठन का प्रश्न रहा हो, चाहे कार्यमंत्रणा समिति में सरकारी पक्ष को रखने का प्रश्न रहा हो, बिना परामर्श के नेता मनोनयन करने का प्रश्न रहा हो, श्रीमन् जब वह यहां आए तो राष्ट्रीय गान को, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, राष्ट्रीय गान का गायन नहीं हुआ, श्री धनीराम वर्मा ने राष्ट्रीय गान का मखौल बनाया है, यह राष्ट्रीय गान का अपमान है । उनका जो यहां आचरण रहा उससे सिद्ध हो गया है कि संसदीय परम्पराओं का हनन उन्होंने कर डाला, हनन तो बहुत पहले से कर रहे थे लेकिन आज तो सीमा लांघ दी ।

लोकतंत्र की हत्या करके संवैधानिक नियमों का अतिक्रमण कर दिया । इस सदन का अपमान किया । सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं का अपमान कर दिया, ऐसा लगा जैसे यह सदन नहीं है उनके निजी घर की खेती है जैसा चाहें वैसा करते रहेंगे । हम में से किसी को और श्री धनीराम वर्मा को यह नहीं भूलना चाहिए कि अध्यक्ष सदन का नियंता नहीं हो सकता है । अध्यक्ष सदन की भावनाओं का दुरुपयोग नहीं कर सकता है अध्यक्ष सदन का स्वामी नहीं हो सकता है, अध्यक्ष सदन का एक

(समय 12 बजकर 05 मिनट)

बहुत अच्छा सेवक हो सकता है । स्वामी है, तो यह माननीय सदन । यह ही अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, यह सदन सर्वोपरि है । आज इस सदन की अवमानना कर दी गई । मैं समझता हूं कि यह कुर्सी यह कुर्सी है जिस पर मा0 पुरुषोत्तम दास जी टण्डन बैठा करते थे । जिन्होंने कहा था कि एक भी सदस्य मेरे प्रति अविश्वास व्यक्त देगा तो मैं यह कुर्सी छोड़ दूंगा । एक सदस्य ने केवल इतना कह दिया था कि अध्यक्ष महोदय यह जो आपकी व्यवस्था है यह पक्षपात पूर्ण है । इतने पर वह कुर्सी छोड़ कर चैम्बर में चले गए थे । जब सारे सदन के नेतागणों ने जाकर उनसे

क्षमा याचना की थी और उस सदस्य ने भी जाकर क्षमा याचना की थी तब जाकर वह पुनः इस कुर्सी पर आकर बैठे थे । कदाचित संविधान निर्माताओं के दिमाग में राजर्षि पुरुषोत्तम दास जी टण्डन सरीखे व्यक्ति रहे होंगे । उन्हीं के अनुसार संविधान बनाया गया होगा । कौन जानता था कि इस कुर्सी पर धनीराम जैसा व्यक्ति भी बैठेगा ? उत्तर प्रदेश के साथ यह दुर्भाग्य हुआ कि यहां पर विधान सभा अध्यक्ष के रूप में धनीराम वर्मा बैठे ।

श्री उदल–

तब वह पैदा नहीं हुए थे ।

श्री कल्याण सिंह–

मुझे लगता है कि वह अपने विवेक से काम नहीं कर रहे थे । किसी के हथियार के नीचे उनका अंगूठा दबा हुआ था । उनका आचरण मात्र एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हुआ है । मैं समझता हूं कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी इतने निचले स्तर तक जाना पसन्द नहीं करूंगा । जिस स्तर तक मा0 धनीराम जी वर्मा चले गए । आज सब जगह चर्चा है कि यह कैसा लोकतंत्र का मखौल हो रहा है । कोशिश हो रही है कि लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलने की । बैलेट तंत्र को बुलेट तंत्र में बदलने की कोशिश हो रही है । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन लोकतंत्र के ऊपर जब खतरा आएगा, तो सभी एकजुट होकर ऐसी ताकतों से मुकाबला करेंगे । मान्यवर, लोकतंत्र तो गरीब के हाथ की तलवार है । यह पूंजीपतियों टाटा, बिरला का हथियार नहीं है । लोकतंत्र गरीब का हथियार है । इस गरीब के हाथ के हथियार पर डाका डालने की कोशिश की जा रही थी । किसी गरीब को धरना, प्रदर्शन सभाएं करने का अधिकार लोकतंत्र देता है मैंने यह कभी नहीं सुना कि किसी बड़े पूंजीपति को कभी धरना देने की आवश्यकता पड़ी हो । मा0 अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा ने उसी लोकतंत्र का गला घोटा है । हम उसकी निन्दा करते हैं ।

श्रीमन् अभी यहां पर एक निन्दा प्रस्ताव की बात चली है । एक बधाई के प्रस्ताव की भी बात चली है । यह सदन सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव करके महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, धन्यवाद व्यक्त करें कि उन्होंने इतने बड़े संकट के समय में लोकतंत्र को बचाने का ऐतिहासिक निर्णय दिया है । जहां तक श्री धनीराम के विरुद्ध निन्दा के प्रस्ताव का प्रश्न है मैं बड़े सम्मान के साथ अपने मित्रों से सहमत नहीं हो पा रहा हूं । आज गांव-गांव, गली-गलियारे, वयस्क, वृद्ध यह सबके सब श्रीमान् धनीराम वर्मा की निन्दा कर रहे हैं । इस सदन में अलग से कोई निन्दा का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं । निन्दा हमने की है, आप भी कर रहे हैं । निन्दा का अतिरिक्त प्रस्ताव पास करके एक ऐसा व्यक्ति जो अध्यक्ष काल में निन्दा का पात्र बन चुका है, मैं अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहता हूं । राज्यपाल महोदय ने जो संदेश भेजा है, मुझे ऐसा लगता है कि विधिक दृष्टि से यह निन्दा प्रस्ताव कदाचित् उस परिधि के बाहर हो जायेगा । तकनीकी दृष्टि से उसमें इसके दो आधार हैं । चूंकि कल तो स्वयं श्री धनी राम वर्मा के प्रति प्रस्ताव

आया है, अब तो कायदे से इस कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना है । आज का क्षण कुर्सी पर बैठने के लिए आखिरी क्षण था, वह बैठ गए हैं, अब श्री धनी राम वर्मा कभी नहीं बैठेंगे, कभी नहीं बैठेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो शोक प्रस्ताव आने हैं, एक यह भी शोक प्रस्ताव जोड़ दिया जाय ।

श्री कल्याण सिंह–

निन्दा मैं भी करता हूं, आप भी कर रहे हैं, और आज गली-गली में हो रही है, कोई आवश्यकता नहीं है अलग से कोई अतिरिक्त प्रस्ताव लाने की ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जुदाई का शोक व्यक्त कर देना कोई बुरी बात नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह–

आज जब प्रदेश की जनता यह जानेगी कि अभी तक श्री धनी राम वर्मा का आचरण लोकतंत्र विरोधी था, संवैधानिक परम्पराओं का विरोधी था, संवैधानिक आस्थाओं का विरोधी था, आज यह भी पूरे देश और पूरे प्रदेश की जनता जान जायेगी कि श्री धनी राम वर्मा का आचरण अमानवीय भी है । निधन के निर्देश कार्य सूची में महामहिम राज्यपाल के संदेश में स्पष्ट तौर पर अंकित किए गए हैं, अगर दुश्मन की भी मृत्यु होती है तो उसके प्रति भी शोक संवेदना व्यक्त की जाती है । जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य रहे, जिन्होंने इस सदन की सेवा की जनता की सेवा की, प्रदेश की सेवा की, सदन का यह दायित्व होता है कि ऐसे दिवंगत सभी सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करें, उनके प्रति शोक व्यक्त करें, शोक संवेदनाएं उनके परिवारों तक भेजें यह मानवीय कार्य है । आज अपने ही सदन के उन वरिष्ठ साथियों के निधन के निर्देश पर विचार न करके या शोक प्रस्ताव पारित न कराके श्रीमान् धनीराम वर्मा ने अमानवीयता का परिचय दिया । इंसानियत से हटने का परिचय दिया । इसलिए फिर कहता हूं कि निन्दा के लिए शब्द ढूंढ़ने पड़ेंगे कि किन शब्दों में निन्दा की जाय । इसलिए औपचारिक निन्दा प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है । निन्दा तो गली-गली, गांव-गांव, गलियारे-गलियारे हो रही है । इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय वर्मा जी एक मिनट सुन लें । निन्दा का प्रस्ताव विधिक या तकनीकी कारणों से न हो पाए तो जो यहां कार्यवाही हुई है, जिसमें माननीय नेताओं और कतिपय माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किए हैं, यह पूरी कार्यवाही महामहिम राज्यपाल जी के पास उनके अवलोकनार्थ भेज दी जाय ।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आज सदन में माननीय अध्यक्ष के आने के बाद जो आचरण देखने को मिला वह कोई नई बात नहीं थी, सदन की बैठक आज हुई और इससे पहले बाहर

नोट:–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ऐसा लगता था कि सड़कों की, बाहर की लड़ाई हारकर, आज विधायी संकट पैदा करके, लोग इस प्रदेश को राष्ट्रपति शासन की छत्रछाया में जाने के लिए विवश करना चाहते हैं और उसी प्रस्तावना की तैयारी की जा रही थी । असंसदीय आचरण उनका पहले भी देखने को मिल चुका है । रोज अखबारों में बात पढ़ने को मिलती थी, जगह-जगह चर्चा होती थी और आज सदन में आने के बाद उन्होंने उसकी सीमा भी पार कर दिया । उन्होंने तो संसदीय मूल्यों के परखचे उड़ा दिए, नैतिकता की सीमा को भी पार कर दिया । संसदीय मूल्यों की हत्या कर दी, नैतिक मूल्यों की हत्या कर दी । हमको यह पहले ही देखने को मिल चुका है कि संसदीय मूल्यों की हत्या किस तरह कर दी गयी थी आज उन्होंने नैतिक मूल्यों की हत्या भी उस समय कर दी जब आज निधन के निर्देश होने थे और यह प्राथमिकता के आधार पर लिए जाते हैं, आज उस अवसर पर उन्होंने जो आचरण किया उससे पूरा प्रदेश अवगत हो चुका है ।

माननीय कल्याण सिंह जी की बातों से मैं सहमत हूं कि जो निन्दा का प्रस्ताव आया है उसकी आवश्यकता नहीं है । उनको हटाये जाने का प्रस्ताव जो विचाराधीन है कहीं तकनीकी आधार पर लोग यह न कहें कि आज निन्दा का प्रस्ताव पारित हो चुका है इसलिए निश्चित अवधि के भीतर कोई दूसरा प्रस्ताव पारित नहीं हो सका है इसलिए तकनीकी आधार को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रस्ताव पर बल न दें । मान्यवर, जो 2 जून को स्टेट गेस्ट हाउस में घटना घटित हुई इससे पूरा प्रदेश का सिर शर्म से झुक गया है । मैंने पहले ही कहा था कि आज सड़कों की बाहर की लड़ाई हारकर ये लोग विधायी संकट पैदा करना चाहते हैं इससे पूरे प्रदेश का सिर शर्म से झुक गया है । दूसरी बात यह है कि आप अपनी वर्मा जी की प्रतिबद्धता को लें । (श्री प्रमोद तिवारी के बोलने पर) ये तो तिवारी हैं तीन जगह वार करते हैं और सबको अपना जैसा बनाना चाहते हैं । आप इनकी तीन वारों की जमात में शामिल न हों ।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं सदन की बहुत आभारी हूं कि सदन ने महामहिम श्री राज्यपाल जी के संदेश को स्वीकार किया है और उसी के अनुसार आज सदन की कार्यवाही चल रही है । इसके साथ-साथ जहां तक श्री धनीराम वर्मा जी के आचरण का सवाल है, उनके आचरण के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूं क्योंकि लगभग सभी पार्टियों के सम्मानित नेताओं ने धनीराम वर्मा जी के आचरण के बारे में बहुत सी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं । लेकिन एक बात मैं जरूर सदन के सामने रखना चाहती हूं । जब हम श्री धनीराम वर्मा जी के आचरण पर नजर डालते हैं तो मुझे परम पूज्य बाबा साहब डा0 अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान की याद आ जाती है । परम पूज्य बाबा साहब डा0 अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, तो उसे बनाते वक्त धनीराम वर्मा जी जैसे लोगों के आचरण को भी उन्होंने ध्यान में रखा था । बाबा साहब ने भारत के संविधान को बनाते समय अध्यक्ष पद के लिये जो जिम्मेदारियों से संबंधित प्रविजन्स रखे थे वह तो एक अच्छी सोच को ध्यान में रखकर किये गये थे कि जो भी इस देश में प्रदेश में, किसी सदन के अन्दर स्पीकर की कुर्सी संभालेगा वह संविधान की मर्यादा के तहत कार्य करेगा ।

परम पूज्य बाबा साहब अम्बेदकर को इस बात का भी ज्ञान था कि अभी श्री धनीराम वर्मा जैसे लोग भी इस आसन पर आसीन हो सकते हैं । ऐसे लोगों के आचरण पर रोक लगाने के लिये भी भारत के संविधान में उन्होंने प्राविधान रखे, और उन्हीं के तहत महामहिम राज्यपाल जी ने सदन को संदेश दिया है । बड़ी खुशी की बात है कि महामहिम राज्यपाल जी ने भारत के संविधान की मर्यादा को कायम रखा । इसके लिए इस प्रदेश के लोग, सम्मानित नेतागण, सभी उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं । ऐसे समय में मैं समझती हूं कि जब मैंने इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के पद का कार्यभार संभाला उसके बाद के घटनाक्रम के बारे में जब इस विधान सभा का इतिहास लिखा जायेगा तो एक तरफ धनीराम वर्मा जी के आचरण और उसके विपरीत महामहिम राज्यपाल जी ने किस तरह भारत के संविधान की मर्यादा को कायम रखा, इसका भी एक इतिहास लिखा जायेगा। इतिहास में इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता ।

इसके साथ-साथ मैं आप सबको यह भी अवगत कराना चाहती हूं कि मेरी जो छवि देश के अन्दर प्रस्तुत की गई, और मेरी छवि को जिस हिसाब से, जनता के सामने, देशवासियों के सामने रखा गया, छवि को बिगाड़ने में, मेरी पार्टी की छवि को बिगाड़ने और भ्रांति फैलाने में जो सबसे बड़ा हाथ है, वह समाजवादी पार्टी के श्री मुलायम सिंह यादव जी का हाथ रहा है । जब मैं इस बड़ी कुर्सी पर नहीं थी, तो लोगों का ख्याल मेरे बारे में अच्छा नहीं था । लोग यह सोचते थे कि मायावती जातिवादी है, मायावती बहुत झगड़ालू किस्म की है, मायावती बहुत द्वेष की भावना रखती है लेकिन आप सब लोगों का मुझे जो प्यार मिला, जनता का जो प्यार मिला, उससे मुझे ऐसा लगा कि यह प्रचार बिल्कुल झूठा था ।

मैंने पहले ही दिन, जब शपथ ली थी, तब कहा था कि मुझे आज देश के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री पद के भार संभालने का मौका मिला है, आज मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी हूं पहले मैं बी0एस0पी0 की राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मेरे कन्धों पर केवल बहुजन समाज की ही जिम्मेदारी थी लेकिन अब मेरे कन्धे पर सर्वसमाज की जिम्मेदारी आ गई है । मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी को यह अहसास नहीं होगा कि मुख्य मंत्री जी ने जाति या धर्म के आधार पर न्याय दिया है । मैंने यह पद भार संभालने के बाद देश वासियों के सामने यह बात रखी थी, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने यह बात रखी थी और यह कहा था कि कभी आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमारे साथ सौतेले किस्म का रवैया अख्तियार किया जा रहा है । आप जानते हैं कि मैंने मुख्य मंत्री पद का भार संभाला तो किन परिस्थितियों में संभाला है ।

आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी ने 18 महीने उत्तर प्रदेश में शासन किया और इन 18 महीनों के शासन में क्या कुछ हुआ ? यह आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं । तब सपा-बसपा गठबंधन की सरकार थी । जब यह गठबन्धन हुआ था तो गठबन्धन के मौके पर हमने कुछ शर्तें रखी थीं । पहली शर्त यह थी कि उत्तर प्रदेश के अन्दर खास तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, धार्मिक अल्प संख्यक समाज से सम्बन्ध रखने

वाले लोग सिक्ख, मुस्लिम, ईसाई पारसी, व बौद्धिस्ट इन लोगों के ऊपर जुल्म-ज्यादती नहीं होनी चाहिए और इनकी तरफ हमें खास ध्यान देना होगा । दूसरी शर्त यह थी कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू-रूप से चलाना होगा, ताकि लोग उत्तर प्रदेश में अमन-चैन के साथ रहें । हमने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर मां-बहिनों की अस्मत न लूटी जाये चाहे वह किसी भी धर्म की या जाति की हों उनको पूरा मान-सम्मान मिले और वे स्वाभिमान की जिन्दगी बसर करें । यह बातें गठबन्धन के समय कही गयी थी । लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि 18 महीने के अंदर ऐसा नहीं हुआ । जो कुछ हुआ है उसे आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ।

कानून-व्यवस्था चरमराई और उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया था । उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, मजलूमों पर बड़े पैमाने पर जुल्म-ज्यादतियां हुईं । इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में गुण्डा-गर्दी और माफिया-गर्दी बड़े पैमाने पर बढ़ी । इसका जीता-जागता उदाहरण है 2 तारीख (2 जून, 1995) को राजकीय अतिथि गृह में मेरे साथ और मेरी पार्टी के विधायकों के साथ घोर अभद्रता एवं हमारे ऊपर हमला जिसे इतिहास भुला नहीं पायेगा । इस मौके पर जो घटना घटी उस समय श्री मुलायम सिंह यादव के हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी और इस घटना से क्षुब्ध होकर दुःखी होकर आप लोगों ने यह फैसला लिया कि बाबारा उत्तर प्रदेश में माफिया एवं गुण्डाराज कायम न हो सके इसलिये इस मौके पर मुझे (कु0 मायावती) को, उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाने के लिये पूरा सहयोग दिया जायेगा । इस प्रकार समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ जो वायदा किया था, जब उसको उन्होंने पूरा नहीं निभाया तो बहुजन समाज पार्टी ने गरीबों मजलूमों के हितों को ध्यान में रखकर अब अपना समर्थन वापस लिया और पहली तारीख को गवर्नर साहब को इस बारे में लिखकर दिया तो उसके बाद दो जून को श्री मुलायम सिंह ने मेरे साथ तथा मेरे विधायकों के साथ जो व्यवहार किया था और जो भी घटनाएं घटी, उनसे आप सभी लोग वाकिफ हैं ।

उत्तर प्रदेश में इस किस्म की घटनाओं को रोकने के लिए और जिस प्रकार से संविधान तथा सदन की मर्यादा को तोड़ा जा रहा था, उसको रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें अनकन्डीशनल समर्थन दिया है । इसके लिए मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करती हूं और उन्हें धन्यवाद देती हूं । साथ ही कांग्रेस पार्टी जनता दल, सी0पी0आई0, और समाजवादी पार्टी से अलग हुए गुट, जिसके अध्यक्ष श्री हरमोहन नारायण दीक्षित जी हैं, उनके प्रति भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूं । क्योंकि दो तारीख की घटना से दुःखी होकर उन्हें अलग से समाजवादी डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाना पड़ा । जो विदलीय सदस्य यहां पर मौजूद हैं और जिन्होंने उस (2 जून की) घटना की निन्दा की, उन सबके प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूं और इस आदरणीय सदन के सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का भी शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने सुचारू रूप से इस आदरणीय सदन को चलाने के लिए मुझे अपना समर्थन दिया । धन्यवाद।

श्री राज्यपाल के संदेशानुसार सदन का संचालन श्री बी0 आर0 वर्मा द्वारा किये जाने का प्रस्ताव

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं "चूंकि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, सदन से चले गये हैं । उनका यह कार्य विधि एवं नियम सम्मत नहीं है । क्योंकि महामहिम राज्यपाल ने 19 तथा 20 जून 1995 के लिए कार्यक्रम तय करके संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अधीन सदन से अपेक्षा की है कि 20 जून, 1995 को माननीय अध्यक्ष को उनके पद से हटाने तथा सुश्री मायावती के नेतृत्व वाले मंत्रि मण्डल में विश्वास मत पर मतदान किया जाय ।

अतः सभी संगत नियमों को निलम्बित करते हुए सदन निर्णय करता है कि अब दिनांक 20 जून, 1995 को सदन का उपवेशन दिन में 11 बजे से प्रारम्भ हो तथा उस उपवेशन की भी अध्यक्षता तथा कार्य संचालन महामहिम राज्यपाल के संदेशानुसार श्री बी0आर0 वर्मा ही करें ।"

मान्यवर, वैसे तो आपको इस पीठ पर आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से बैठाया है । आप हाथ उठाकर भी हमारा अभिमत प्राप्त कर सकते हैं परन्तु मेरा निवेदन है कि जो लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप गणना करवा लें तो उचित होगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति–

प्रश्न यह है कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है और जिसका समर्थन श्री राम लखन वर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा किया गया है, उसके पक्ष में जो माननीय सदस्य हों, अपने हाथ उठायें ।

(सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने हाथ उठाये)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जिस पद पर आप आसीन हैं, वह प्रभावशाली व गरिमामय पद है । ..... सदस्य संख्या के अनुसार कुछ नहीं होता है, यहां दलों की भावना होती है। इस प्रस्ताव को रखने के पहले श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने सभी दलों के नेताओं से बात कर ली होती तो यह सर्वसम्मति से पास हो जाता । मैं माननीया मायावती जी सदन की नेता पद पर आसीन हैं, से आग्रह करूंगा कि वह सभी दलों के नेताओं को बुलायें, उनके सुझाव लें । आप जिस गरिमामय पद पर बैठी हैं, उसकी गरिमा बनाने के लिये हम आपका स्वागत करेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी जहां हम आपका

इस बात के लिए समर्थन करते हैं वहीं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ । स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, अभी उन्होंने अपने भाषण में कुछ बातें कहीं, कुछ लोगों की तरफ इशारा किया (व्यवधान)

श्री सभापति–

शांत रहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

हम उनसे सहमत हैं और विश्वास दिलाते हैं सत्तारूढ़ दल सदन को चलाने के जिसे अध्यक्ष चुनना चाहेगा उस पर हम विश्वास व्यक्त करेंगे, उनको इसका अधिकार है । लेकिन सदन को भी अधिकार है, जिसने गलती की है, उसकी है, गलत आचरण किया है उसकी आलोचना हुई है । जहां जातीयता देश की दुश्मन है, साम्प्रदायिकता उससे ज्यादा दुश्मन है । भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है वह साम्प्रदायिकता की आग लगाना चाहता है (व्यवधान)

श्री सभापति–

माननीय तिवारी जी भाषण न दें । (व्यवधान)

(सचिव विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर)

आप सारे बैठ जायें । कुछ अनुपूरक कार्य रह गया था उनको पूरा किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[xxx]

श्री सभापति–

[xxx]

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्री सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1995 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 फरवरी, 1995 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिए दिनांक 6 फरवरी, 1995 को पारेषित एवं प्राप्त कराया गया और जो प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर विधान सभा को दिनांक 20 फरवरी, 1995 तक वापस नहीं लौटाये जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 198(5) के अन्तर्गत दिनांक 21 फरवरी, 1995 को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा गया जिसमें वह विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 1995 को प्राप्त हो गयी और यह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

नोटः–[xxx] यह अंश मा0 सभापति महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश सुख साधन कर विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्री सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सुख-साधन कर विधेयक, 1995 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 फरवरी 1995 के अधिवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था तथा जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् को उसकी सिफारिशों के लिए दिनांक 6 फरवरी, 1995 को पारेषित एवं प्राप्त कराया गया था और जो प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर विधान सभा को दिनांक 20 फरवरी, 1995 तक वापस नहीं लौटाये जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 198(5) के अन्तर्गत दिनांक 21 फरवरी, 1995 को राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा गया जिसमें वह विधान सभा द्वारा पारित किया गया था, पर श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 मार्च, 1995 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1995 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

आज की कार्यवाही में राष्ट्रीय-गीत के पश्चात् अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा द्वारा कृत-कार्यवाही अथवा घोषणा को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

माननीय सभापति जी, आज विधान सभा की कार्यवाही में राष्ट्रीय गीत पढ़ने के बाद माननीय अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा द्वारा जो भी कार्यवाही अथवा घोषणा की गयी है उसके बारे में, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह आदरणीय सदन उसके प्रति अपनी अस्वीकृति प्रकट करते हुये उसे निरस्त कर दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर मैं संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति–

संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव अभी सदन में प्रस्तुत किया है उससे क्या यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विधान सभा के सदस्य श्री मीर मजहर अली उर्फ नन्हें मियां के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मुझे अत्यन्त दुःख के साथ इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि इस बीच में हमारे इस सम्मानित सदन के एक वर्तमान, 8 भूतपूर्व तथा 2 विशिष्ट महानुभावों का निधन हो गया है जिन्होंने सदनों की सदस्यता के रूप में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में तथा समाज सेवा के माध्यम से हमारे प्रदेश-देश की सेवा की है। यह क्रूर सत्य है कि इस संसार में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन यहां से जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग अपने सद्कर्मों से ऐसी यादगारें छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं।

मान्यवर, मुझे दुःख के साथ सदन को सूचित करना है कि इस सदन के वर्तमान सदस्य श्री मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां का निधन 1/2 मार्च, 1995 को हो गया। इनका जन्म 20 अगस्त, 1930 को बदायूं में हुआ था। वह 1980 और 1993 में इस सदन के सदस्य रहे। वह सहसवान नगरपालिका के दस वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। वह जीवन पर्यन्त शिक्षा संस्थाओं से जुड़े रहे। वह साम्प्रदायिक सौहार्द की मिसाल थे। उन्होंने सहसवान में रामलीला मेला की स्थापना की और बीस वर्षों तक वे ही उसके अध्यक्ष बनाये जाते रहे। उनके निधन से बदायूं जनपद ने एक महान समाजसेवी को खो दिया है। मान्यवर, इस दिवंगत आत्मा के शोकाकुल परिवार को शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि उनके परिवार तक मेरे और मेरे दल तथा सदन की ओर से संवेदना संदेश पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री कल्याण सिंह--

श्रीमन, स्वर्गीय मीर मजहर अली के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार नेता सदन ने व्यक्त किया है उससे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री मीर मजहर अली तीन-तीन बार इस सम्मानित सदन के सदस्य रहे। वह अपने जिले के अच्छे जाने-माने नेता थे। उनकी सामाजिक कार्यों में बड़ी रुचि थी और वह हर गरीब का दर्द समझते थे और उसका काम करते थे। वह आज हमारे बीच में नहीं रहे। इसका हमें दुख है। आपसे प्रार्थना है कि मेरी और मेरे दल की ओर से शोक संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री प्रमोद तिवारी--

मान्यवर, यह नियम है इस जगत का कि जो आता है उसे जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाते हैं तो अपने पीछे वह ढेर सारी यादें छोड़ जाते हैं और यह बात मैं उनके संबंध में कहूंगा। श्री मीर मजहर अली के निधन से एक सेकुलर, एक जिन्दादिल इन्सान और एक अच्छा दोस्त हम लोगों से जुदा हो गया। 1980 में भी मुझे इस विधान सभा में उनके साथ रहने का मौका मिला, 1989 में भी उनके साथ रहने का मौका मिला और 1993 के बाद भी हम उनके साथ यहां बैठे हैं वह एक असाधारण इन्सान थे। वह सबका प्रतिनिधित्व करने वाले इंसान थे। उनका यदि एक तरफ इस्लाम में पूरा विश्वास था और वह बहुत मजहबी थे तो दूसरी तरफ वह रामलीला मेला कमेटी के भी अध्यक्ष थे और इस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एक नये सेक्युलर की आधार शिला मजबूत की। उनके दोस्त आपको हर दल में मिल जायेंगे। उनके निधन से एक संसदीय परम्परा का अच्छा ज्ञाता, सेक्युलर और अच्छा इंसान हमारे बीच से उठ गया है।

मैं अपनी ओर से और अपने दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, जो विचार नेता सदन सुश्री मायावती ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने रखे हैं, उनसे सम्बद्ध करते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरी संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

नोट:--*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किरण पाल सिंह–

मान्यवर, श्री मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां हमारे पड़ोस के जनपद बदायूं में पैदा हुए थे और उनका कार्यक्षेत्र भी बदायूं-सहसवान रहा है । मुझे भी सन् 1989 में, जब वह पहली बार चुनकर आए थे और मैं भी यहां आया था, उनके साथ रहने का मौका मिला । मैं उनके दल में तो नहीं था लेकिन उनको प्रत्येक दल का सदस्य मानता था और वह सभी का समान रूप से सम्मान करते थे । सभी सदस्यों के साथ उनके अच्छे और मधुर संबंध थे । वह बहुत मिलनसार थे और समाज-सेवा के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने हिस्सा लिया था और दिलचस्पी ली थी । चाहे शिक्षा का कार्यक्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक कार्य का क्षेत्र हो और चाहे कोआपरेटिव के जरिए समाजसेवा का क्षेत्र हो करीब-करीब प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी रुचि दिखाई । इससे हम उनको बहुमुखी प्रतिभा का इंसान मानते थे । मुसलमान होते हुए भी उन्होंने सहसवान में रामलीला कमेटी बनाई और अनेक वर्षों तक आप उसके अध्यक्ष रहे और साथ ही आपने रामलीला के कार्यों में भारी रुचि ली । सामाजिक एकता और सद्भावना की ऐसी मिसाल बहुत कम ही देखने को मिलती है । वह असमय में ही हमारे बीच से चले गए हैं । उनके बारे में जो भावनाएं नेता सदन, मुख्य मंत्री जी ने, नेता भाजपा, कल्याण सिंह जी ने और नेता कांग्रेस श्री प्रमोद तिवारी ने व्यक्त की हैं, मैं उन्हीं भावों, भावनाओं से अपने आपको और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप श्री मीर मजहर अली साहब के शोक संतप्त परिवार तक मेरी और हमारे दल की शोक संवेदनाएं भेजने का कष्ट करें ।

*श्री उदल–

मान्यवर, मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां के बारे में जो शोकोद्गार नेता सदन ने व्यक्त किए हैं और नेता भाजपा कल्याण सिंह जी ने तथा कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी और किरनपाल सिंह जी ने व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री मीर मजहर अली एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे और इसी का नतीजा था कि उन्होंने रामलीला कमेटी बनाई और उसकी अध्यक्षता वर्षों की । वह एक अच्छे समाज सेवक थे, एक धर्म निरपेक्ष व्यक्ति थे । कोआपरेटिव क्षेत्र में उनका बहुत योगदान रहा । उनके निधन से हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है । साम्प्रदायिक एकता के बारे में एक हमारा योद्धा हमारे बीच से निकल गया और खासकर बदायूं में जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति नहीं हो सकती । इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे व मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, इस आदरणीय सदन के सदस्य रह चुके स्वर्गीय श्री मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने व्यक्त किए हैं मैं लोकतांत्रिक समाजवादी गुट की ओर से उन शोकोद्गारों के साथ अपने और अपने दल के सदस्यों को सम्बद्ध करता हूं ।

नोट:–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मीर मजहर अली हमारी पार्टी के एक विनम्र सदस्य थे । उन्होंने हम लोगों के साथ बैठकर जिस तरीके का प्रेम व्यवहार व्यक्त किया था कि उन्हें आज अपने बीच में न पाकर बहुत कष्ट हुआ है । श्रीमन्, कुछ लोग जन्म लेते हैं, चले जाते हैं, निधन हो जाता है और उनकी बाबत कोई चर्चा नहीं करता मगर स्वर्गीय नन्हे मियां ने अपने जनपद में, अपने प्रदेश में अपनी सेवाओं से जो ख्याति अर्जित की थी उसके चलते हम लोगों ने अपने एक खास साथी और इस आदरणीय सदन ने अपना एक सदस्य खो दिया है । आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे और हमारे दल की ओर से शोकोद्गार उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, श्री मीर मजहर अली जो आज दुनिया में नहीं रहे बदायूं क्षेत्र के थे और मैं भी बदायूं क्षेत्र से हूं । उनसे निकट का सम्बन्ध रहा है । वह हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे । तीन दशक तक विधान सभा के सदस्य चुने गए । इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें मुस्लिम वोटों से अधिक वोट हिन्दुओं के मिलते थे । वह एक समाज सेवी और मृदुभाषी व्यक्ति थे जनपद बदायूं में उनके न रहने से एक ऐसी रिक्तता पैदा हो गयी है जिसका भर पाना मुश्किल है । हम सभी लोग उनके मरने से अत्यन्त दुःखी हैं ।

मान्यवर, जो उद्गार नेता सदन, भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह, नेता कांग्रेस और अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी ओर से शोक संवेदनायें उनके परिवार को पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री सभापति–

जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन और सभी दलों के माननीय नेतागण और माननीय सदस्यगण ने रखे हैं मैं उससे अपने को और इस सदन को सम्बद्ध करता हूं । ऐसे कम ही लोग होते हैं जो जब नहीं रहते हैं तो उससे मात्र उनके घर परिवार ही नहीं, उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे प्रदेश और देश में उनके अभाव को महसूस किया जाता है । इसी श्रेणी के श्री मीर मजहर अली जी थे उनके साथ बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनके सामाजिक, राजनीतिक जीवन उनके विचार और समाज के प्रति जो उनकी अटूट आस्था निष्ठा और कर्मठता थी और जो वह दलित शोषित लोगों के अधिकार क्षेत्र के प्रति द्रवीभूत होते थे आज यह प्रदेश उनकी इसी रिक्तता को महसूस कर रहा है । मात्र समाजवादी पार्टी ने ही अपना कार्यकर्ता नहीं खोया है वरन् पूरे प्रदेश ने एक ऐसा महापुरुष खो दिया है जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं है । आज जितने भी दलों के माननीय नेताओं ने और सदस्यगणों ने अपनी शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को, अपनी पार्टी को और सदन को जोड़ते हुए उनके परिवार तक यह शोक संवेदनायें पहुंचाने के लिए निर्देशित करता हूं । हम सभी लोग अब उनकी आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखेंगे ।

(सभी सदस्य सदन में दो मिनट तक मौन खड़े हुये ।)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगन्नाथ मल्ल, श्री जोखई, श्री शिव प्रसाद नागर, श्री उमा शंकर मिश्र उर्फ भोलई महराज, श्री द्वारिका प्रसाद, श्री फूल सिंह "सौदाई", श्री चन्द्र शेखर सिंह तथा श्री सुखदेव प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री जगन्नाथ मल्ल का निधन 16 जून, 1990 को हो गया उनका जन्म 4 जुलाई, 1916 को हुआ था । वह 1952 में सदन के सदस्य रहे । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा महान समाजसेवक हुए । उनके निधन से जनपद पडरौना को बड़ी हानि हुई है । उनके शोक संतप्त परिवारजनों तक मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री जोखई का निधन 22 नवम्बर, 1993 को हो गया । इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था । वह 1957 में सदन के सदस्य रहे । सच्चे कार्यकर्ता थे । उनके निधन से जनता ने एक सच्चा समाजसेवी खो दिया है । उनके परिवार जनों तक मेरी मेरे दल की तथा सदन की ओर से शोक संदेश पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, श्री शिव प्रसाद नागर का निधधन 15 अक्टूबर, 1994 को हो गया । उनका जन्म 16 फरवरी, 1912 को लखीमपुर खीरी में हुआ था । 1957 तथा 1962 में वह इस सदन के सदस्य रहे । वह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा उच्चकोटि के पत्रकार थे । उनके निधन से लखीमपुर ने महान देशभक्त खो दिया उनके दुखी परिवारजनों को मेरी तथा मेरे दल की और इस सदन की शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य उमाशंकर मिश्र उर्फ भोलई महराज महन्त प्रेम पुजारी दास जी का 21 अक्टूबर, 1994 को निधन हो गया । उनका जन्म 14 जनवरी, 1910 को बाराबंकी में हुआ था । वह 1952 में सदन के सदस्य रहे । वह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे । कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता थे । उनके निधन से जनपद बाराबंकी ने एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खो दिया है । श्रीमन् कृपया उनके शोकाकुल परिवार तक मेरी, मेरे दल तथा सदन की ओर से शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री द्वारिका प्रसाद का निधन 27 दिसम्बर, 1994 को हो गया । उनका जन्म इन्दरगढ़ में हुआ था वह इस सदन के 1957 में सदस्य रहे । वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा समाजसेवी थे । उनके निधन से जनपद फर्रुखाबाद ने एक महान नेता खो दिया है । श्रीमन् उनके दुखी परिवार तक मेरी, मेरे दल तथा सदन की शोक संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें ।

भूतपूर्व सदस्य श्री फूल सिंह "सौदाई" का निधन 27 जनवरी, 1995 को हो गया । इनका जन्म एक जनवरी, 1935 में मुजफ्फरनगर में हुआ था । वह 1985 में इस सदन के सदस्य रहे । वह कई सामाजिक स्स्थाओं से जुड़े रहे । वह समाज सेवी थे । इनके निधन से मुजफ्फरनगर जनपद ने एक समाज सेवी खो दिया है । इनके शोकाकुल परिवार तक मेरी, मेरे दल तथा इस सदन की संवेदना भेजने की कृपा करें ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह का निधन 3 मार्च, 1995 को हो गया । उनका जन्म 1936 में वाराणसी जनपद में हुआ था । यह 1967, 1989 में इस सदन के सदस्य रहे तथा 1977 में यह लोक सभा के सदस्य रहे । यह संघर्षशील राजनीतिज्ञ थे । उनके निधन से वाराणसी जनपद ने एक महान नेता खो दिया है । इनके शोकाकुल परिवार तक मेरी, मेरे दल तथा सदन की संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

भूतपूर्व सदस्य श्री सुखदेव प्रसाद का निधन 18 मई, 1995 को हो गया । इनका जन्म 1921 में गोरखपुर में हुआ था । 1952 में यह इस सदन के सदस्य रहे । 1966, 1972, 1982 में यह राज्य सभा के सदस्य रहे । वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे । वह उत्तर प्रदेश और केन्द्र में मंत्री रहे तथा राजस्थान के राज्यपाल रहे । मान्यवर, इस सम्मानित नेता के शोकाकुल परिवार तक मेरी, मेरे दल तथा इस सम्मानित सदन की ओर से शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, भूतपूर्व सदस्य श्री जगन्नाथ मल्ल, श्री जोशी, श्री शिव प्रसाद नागर, श्री उमाशंकर मिश्र, श्री द्वारिका प्रसाद, श्री फूल सिंह सौदाई, श्री चन्द्र शेखर सिंह वाराणसी, श्री सुखदेव प्रसाद गोरखपुर के निधन के सन्दर्भ में जो शोकोद्गार नेता सदन ने व्यक्त किए हैं मैं अपने और अपने दल को उनके साथ सम्बद्ध करता हूं और उन भूतपूर्व सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्माओं को शांति और सद्गति प्रदान करें तथा इनके परिवारों को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करें । इसके साथ ही आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोकाकुल परिवार तक मेरे तथा मेरे दल की ओर से शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

भूतपूर्व सदस्य श्री जगन्नाथ मल्ल के निधन से पडरौना जनपद ने महान स्वतन्त्रता सेनानी खो दिया है । इसी तरह भूतपूर्व सदस्य श्री जोशी के निधन से इलाहाबाद ने एक विवेकशील राजनीतिज्ञ और समाज सेवी खो दिया है । (समय 1 बजकर 05 मिनट) मान्यवर, श्री शिव प्रसाद नागर जी जिनका कार्य क्षेत्र मुख्यतः लखीमपुर खीरी था, एक पत्रकार के रूप में, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में और एक समाज सेवी के रूप में अविस्मरणीय सेवायें करते हुये उन्होंने दुनियां से विदा ली । इसी प्रकार से भूतपूर्व सदस्य श्री भोलाई महाराज का जीवन एक राजनीतिज्ञ के रूप में अविस्मरणीय है और जब वह राजनीति से अलग हुए तो अपना संपूर्ण जीवन चित्रकूट में धार्मिक कार्य करते हुए व्यतीत किया । जब उनसे मिलने का सौभाग्य मिलता था तो अपार प्रसन्नता होती थी । कांग्रेस के इस अथक योद्धा ने अपना जीवन चित्रकूट में कामदगिरि प्रवेश द्वार पर अधिष्ठाता के रूप में समर्पित कर दिया । साधारण से दिखने वाले द्वारिका प्रसाद जी का जीवन भी अविस्मरणीय है । इस देश की सेना में उन्होंने सेना नायक के रूप में सीमाओं की हिफाजत की और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया । उनके निधन से फर्रुखाबाद ने एक महान समाज सेवी खो दिया । मान्यवर, श्री फूल सिंह "सौदाई" के

नोट:– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साथ मुझे कार्य करने का मौका मिला, उनका संपूर्ण जीवन दलितों के उद्धार में बीता, संघर्ष में बीता । उनके निधन से हमने दलितों के लिए एक मजबूत आवाज को खो दिया ।

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्य चन्द्रशेखर सिंह की हत्या जिन परिस्थितियों में हुई वह दुःखद है, दर्दनाक है और मैं कह सकता हूं कि उसमें यह साबित होता है कि परिस्थितियां कैसी थीं जिनके कारण उनकी हत्या हुई । मान्यवर, सुखदेव प्रसाद जी का स्मरण आते ही सहृदय, मृदुभाषी, ईमानदार, गरीब तबके की, दलित वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति की छवि उभर कर सामने आती है । कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि मान्यवर, वह भारत सरकार के लम्बे अर्से तक मंत्री रहे हैं और प्रदेश सरकार में काफी अर्से तक मंत्री रहे हैं । राजस्थान जैसे विशाल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उन्होंने सेवा की । जब उनका निधन हुआ तो उनके उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी अगर प्रधान मंत्री ने व्यवस्था न करायी होती तो शायद उनका उपचार भी न हो पाता । उनके निधन से ऐसे व्यक्ति का निधन हुआ जिसने अपना सम्पूर्ण जीवन दलितों की सेवा में लगा दिया था । एक दलित परिवार में जन्म लेकर भारतवर्ष के मंत्रि मंडल के सदस्य के रूप में, राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया । मान्यवर, मैं इन सभी दिवंगत सदस्यों के परिवारों को अपने दल की ओर से संवेदना संदेश भेजने का आग्रह करता हूं । हमारी भावनाओं को इन सभी भूतपूर्व सदस्यों के परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री जगन्नाथ मल्ल जिनका जन्म पडरौना में हुआ था, भूतपूर्व सदस्य शिव प्रसाद नागर जी जो लखीमपुर के रहने वाले थे, श्री उमा शंकर जी, जिनका जन्म बाराबंकी में हुआ था और जिनका निधन चित्रकूट में हुआ, मान्यवर, इसी सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री द्वारिका प्रसाद जी जो फरुखाबाद के रहने वाले थे, श्री फूल सिंह 'सैदाई' जिनका जन्म मेरठ में हुआ था और श्री चन्द्रशेखर सिंह जी जो बनारस के रहने वाले थे और विधान सभा तथा लोक सभा के जो सदस्य रहे और श्री सुखदेव प्रसाद जी जो एक छोटे से परिवार में गोरखपुर में पैदा हुये और भारत सरकार में शामिल रहे इन सभी दिवंगत आत्माओं के बारे में जो भावनायें माननीय नेतागण ने व्यक्त की हैं उनसे मैं अपनी और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस दुःख को झेलने की शक्ति प्रदान करे । मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री उदल–

मान्यवर, श्री जगन्नाथ मल्ल, जिनका निधन 16 जून, 1990 को पडरौना में हो गया । माननीय सदस्य श्री जोखई का निधन दिनांक 22 नवम्बर, 1993 को उनके निवास स्थान पर हो गया, श्री शिव प्रसाद नागर जिनका निधन 15 अक्टूबर, 1995 को हो गया, भूतपूर्व सदस्य श्री उमाशंकर मिश्र उर्फ भोलई महराज वर्तमान

नोट:–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नाम श्री महन्त प्रेम पुजारी दास का निधन चित्रकूट में हो गया, वह बाराबंकी के रहने वाले थे, भूतपूर्व सदस्य श्री द्वारिका प्रसाद का निधन दिनांक 27-12-1994 को हो गया, भूतपूर्व सदस्य श्री फूल सिंह "सांदाई" का निधन 27 जनवरी, 1995 को मेरठ में उनके निवास स्थान पर हो गया, भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रशेखर सिंह का निधन 3 मार्च, 1995 को हो गया। वह इस सम्मानित सदन के ही नहीं लोक सभा के भी सदस्य थे। उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गयी और भूतपूर्व सदस्य श्री सुखदेव प्रसाद का निधन 18 मई, 1995 को हो गया।

मान्यवर, इन भूतपूर्व दिवंगत माननीय सदस्यों के बारे में जो शोकोद्गार माननीया नेता सदन ने, माननीय कल्याण सिंह जी ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने और माननीय किरन पाल सिंह जी ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक संतप्त परिवार वालों के पास मेरी संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जिन आत्माओं के बहुत बड़े संघर्ष से इस देश को आजादी मिली थी उनमें से चार महान् विभूतियां, जो इस सम्मानित सदन की सदस्य रही हैं, का निधन हो गया है। स्वर्गीय सर्वश्री उमा शंकर मिश्र, शिव प्रसाद नागर, द्वारिका प्रसाद और जगन्नाथ मल्ल यह एक-एक करके आजादी की लड़ाई के शूरमा थे। यह चारों महान आत्माओं इस आदरणीय सदन की सदस्य रही हैं। स्वर्गीय सर्वश्री चन्द्र शेखर सिंह, फूल सिंह "सांदाई", जोखई, सुखदेव प्रसाद, जो संसद के सदस्य के रूप में रहे हैं और केन्द्रीय मंत्री के रूप में भी रहे हैं उन्होंने इस पद पर रह कर देश और विदेश में ख्याति अर्जित की है। मैं इन सारी मृत आत्माओं के प्रति जिन्होंने देश के लिए प्रति क्षण जिया और अपने को देश और प्रदेश के लिए अर्पित किया, मैं अपनी ओर से और अपने दल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल की ओर से शोकोद्गार व्यक्त करता हूं और जो भावनायें आदरणीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे शोकोद्गार उनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री सभापति–

श्री जगन्नाथ मल्ल पी पडरौना, श्री जोखई इलाहाबाद, श्री शिव प्रसाद नागर, लखीमपुर खीरी, श्री उमा शंकर मिश्र उर्फ भोलई महराज बाराबंकी, श्री द्वारिका प्रसाद फर्रुखाबाद, श्री फूल सिंह "सांदाई" मुजफ्फरनगर, श्री चन्द्र शेखर सिंह वाराणसी, तथा श्री सुखदेव प्रसाद गोरखपुर के निधन के बारे में जो शोक संवेदना माननीया नेता सदन और सभी दलों के नेतागणों ने व्यक्त किया है उससे मैं अपने को और इस सदन को सम्बद्ध करता हूं और ऐसे महा पुरुष, ऐसे समाज सेवी जो हम लोगों के बीच में नहीं हैं इनके न रहने से जो अपूर्णनीय क्षति हुई है उसके लिए हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी दल के नेतागण ने जो शोक-संवेदना व्यक्त की है, मैं अपनी तरफ से और सदन की तरफ से यह निवेदित करता हूं कि सभी नेताओं की शोक संवेदनाओं को उनके दुःखी परिवार तक पहुंचा दिया जाय। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि 2 मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य सदन में दो मिनट मौन खड़े हुए।)

भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरार जी देसाई तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई का निधन दिनांक 10 अप्रैल, 1995 को जीवन के सौवें वर्ष के प्रवेश के साथ हो गया । स्वर्गीय देसाई का जन्म 29 फरवरी, 1896 को तत्कालीन बम्बई राज्य के भदेली जिला बुलसाड में हुआ था उन्होंने बम्बई के विल्सन कालेज और बम्बई विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी । प्रान्तीय सिविल सेवा से त्याग-पत्र देकर वह राजनीति में आये । 1937 से 1939 और 1946 से 1956 तक बम्बई विधान सभा के सदस्य और 1957 से 1980 तक लोक सभा के सदस्य रहे । वह बड़े निर्भीक पुरुष थे, गांधीवादी विचारों के कट्टर अनुयायी थे । वे 1952 से 56 तक बम्बई के मुख्य मंत्री रहे, केन्द्रीय सरकार में मंत्री रहे, 1967 से 1969 तक केन्द्रीय मंत्रि मण्डल में उप प्रधान मंत्री रहे । 24 मार्च, 1977 को संसद में जनता पार्टी का नेता चुने जाने के बाद वे भारत के चौथे प्रधान मंत्री हुए तथा 27 जुलाई 1979 तक इस पद पर बने रहे । वे गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखीं । उन्हें भारत ने "भारत रत्न" और पाकिस्तान ने "निशान-ए-पाकिस्तान" के अलंकरण से विभूषित किया । मान्यवर, ऐसे महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी प्रखर राजनीतिज्ञ तथा महान पुरुष की हम जब जन्म शताब्दी मनाने जा रहे थे तभी उनका निधन हो गया । उनके निधन से भारत ने विश्व का एक महान गांधीवादी और यशस्वी नेता खो दिया । ऐसे महान नेता को शांति और धैर्य प्राप्ति की प्रार्थना के साथ आपसे निवेदन है कि उनके दुःखी परिवार तक मेरी, मेरे दल तथा सदन की शोक संवेदनाएं पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री सभापति–

विशिष्ट व्यक्तियों में श्री सी0 पी0 एन0 सिंह जी का रह गया है, मैं चाहूंगा कि एक साथ ही ले लिया जाय ।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह का निधन 29 नवम्बर, 1994 को नयी दिल्ली में 2, हैली रोड स्थित उनके आवास पर हो गया । उनकी आयु लगभग 93 वर्ष थी । स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश के बारहवें राज्यपाल थे ।

श्री सी0 पी0 एन0 सिंह का जन्म, 18 अप्रैल, 1901 को पारसगढ़, बिहार में हुआ था । उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर के जी0 बी0 बी0 कालेज में हुई थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करके उन्होंने 1925 में एम0 ए0 किया था । इसके लिए विश्वविद्यालय ने उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया था ।

श्री सी0 पी0 एन0 सिंह 1927 में बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य निर्वाचित हुए और 1936 तक इस सदन के सदस्य रहे । उसके बाद जब राज्य के

विधान मण्डलों का पुनर्गठन हुआ, तो 1937 में श्री सिंह जमींदारों के प्रतिनिधि के रूप में बिहार लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य निर्वाचित हुए । वे विधान सभा में विरोधी दल के नेता भी रह चुके थे ।

श्री सी0 पी0 एन0 सिंह शिक्षा समाप्त करते ही उत्तरदायित्व के पदों पर नियुक्त होते रहे । 1928 में वे बिहार राज्य की साइमन कमेटी के सदस्य, 1930 में प्रांतीय फ्रेंचाइज कमेटी के अध्यक्ष, 1934 में तिरहुत गन्ना मार्केटिंग बोर्ड के मानद सचिव बनाये गये । वे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारह वर्षों तक चेयरमैन रहे ।

मान्यवर, इनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है । मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उनके निधन पर, हमारी शोक संवेदनाएं, सदन की शोक संवेदनाएं, उनके दुखी परिवारजन तक भेजने का कष्ट करें ।

*श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, सौ वर्ष का उत्कृष्ट जीवन जीकर स्वर्गीय श्रधेय मोरारजी भाई हमसे विदा हो गये । श्री मोरार जी भाई देसाई जैसा व्यक्तित्व इस धरती पर शताब्दियों में जन्म लेता है । उनके जाने के पश्चात् एक रिक्तता, शून्यता, उत्पन्न हुई है, उसकी पूर्ति हो जाने की बहुत कम संभावना है । वे विभिन्न पदों पर रहे और ईमानदारी से काम किया, सफलतापूर्वक कार्य किया । अपने विचारों के धनी थे, कभी भी मोरारजी भाई देसाई ने अपने सिद्धान्तों के साथ समझौता नहीं किया । आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए उन्होंने बड़ी से बड़ी कीमत चुकाई । मुझे स्मरण है कि भारत के प्रधान-मंत्री के पद की जो कशमकश चल रही थी उस समय भी अपने सिद्धान्तों से एक सूत भी न दायें गये न बायें गये और एक आदर्श प्रस्तुत किया कि कुर्सी से भी कोई बड़ी चीज होती है वह होती है नैतिक मूल्य और उन नैतिक मूल्यों को उन्होंने सदैव अपने जीवन में अक्षुण रखा । उनके उठ जाने से पूरे विश्व ने एक सच्चा गांधीवादी विचारक खो दिया । वे गांधीवाद में आस्था ही नहीं रखते थे बल्कि सद्व्यवहार भी रखते थे । उनके निधन से भारत ने एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता खो दिया और यह हमारे देश की बड़ी भारी अपूर्णीय क्षति हुई है । ऐसी हस्तियां हमारे बीच से जब उठ जाती हैं तो वर्तमान पीढ़ियों को दुःख होना स्वाभाविक है ।

भारत के राजनीतिक इतिहास में श्री मोरारजी भाई का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा । उनका सारा जीवन वृतान्त, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतत्व देश की भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा । मैं इस दुःखपूर्ण अवसर पर अपनी ओर से एवं अपने दल की ओर से श्रद्धेय मोरारजी भाई देसाई को सम्मान श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति और सद्गति प्रदान करे और उनके शोकाकुल परिवार और सम्पूर्ण राष्ट्र को इस गहरे दुःख को सहने की क्षमता प्रदान करें । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरी और मेरे दल की संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

नोट:– *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, श्री सी0 पी0 एन0 सिंह हमारे बीच से आज उठ गये हैं । वे उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के पद को सुशोभित कर चुके थे । उनकी सेवाओं को उत्तर प्रदेश भुला नहीं पाया है । मैंने जो कुछ जाना है, उन्होंने राज्यपाल के पद पर रहकर जिस प्रकार का व्यवहार किया उसे उन्होंने सभी का दिल जीत लिया । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं । मैं उनके प्रति अपनी ओर से एवं अपने दल की ओर से बड़े आदर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शान्ति एवं सद्गति प्रदान करें । मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

सभापति, मोरारजी देसाई के निधन से एक युग का अन्त हो गया । एक शताब्दी तक भारत के राजनीतिक क्षितिज और सामाजिक जीवन में वे सूर्य की तरह चमकते रहे । कोई उनके विचारों से सहमत हो या न हो इस सच्चाई से कोई इन्कार नहीं करता है कि उनमें दृढ़ता और अनुशासन की भावनाएं थीं । वे देश प्रेम से ओत-प्रोत थे । कोई उनके विचारों से सहमत हो या न हो लेकिन इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि उनके जैसा व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेता है । चाहे वे लोक सभा के सदस्य रहे हों या बम्बई के मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया हो वे हमेशा याद किए जाते रहेंगे । उन्होंने मद्य निषेध का कड़ाई से पालन किया । उन्होंने असंख्य नियंत्रण कानून का कड़ाई से पालन किया । श्री जवाहर लाल जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एवं श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के समय में वे मंत्री रहे । उप प्रधान मंत्री रहे । उनका व्यक्तित्व भारत की सीमाओं में ही कैद नहीं किया जा सकता इसलिए कि भारत में जहां उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा । वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभा के धनी थे । मुझे इस समय स्मरण आता है कि एक बार एक पत्रकार ने एक आरोप उन पर लगा दिया जो उनके देश-प्रेम से सम्बंधित था, उस समय वह जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे, अस्वस्थ थे, लेकिन भारतवर्ष की अस्मिता की रक्षा के लिए और अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए उन्होंने विदेश की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया और जब वह आरोप निराधार साबित हुआ तो उस पत्रकार को उनसे क्षमा मांगनी पड़ी, इससे विदेशों में भारत का गौरव बढ़ा । भारत के ऐसे प्रतिभापूर्ण देदीप्यमान नक्षत्र, कुशल प्रशासक, कुशल राजनेता के निधन पर मैं और मेरा दल अपने शोकोद्गार आपके माध्यम से केवल उनके परिवार तक ही नहीं, बल्कि देश के उन करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो राजनीति में उनसे जुड़े थे ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री सी0 पी0 एन0 सिंह के निधन से एक ऐसे व्यक्तित्व का अन्त हुआ है, उनके संबंध में ऐसा लगता था कि राज्यपाल के पद के लिए ही उनका सृजन हुआ है । वह नियम, अनुशासन के सच्चे थे । चाहे वह जापान में भारत के राजदूत के रूप में रहे, चाहे पंजाब के राज्यपाल के रूप में, चाहे मुजफ्फरपुर जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपनी पूरी योग्यता और प्रतिभा

नोट:—*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का परिचय दिया । उनके निधन से ऐसे महान व्यक्तित्व का अन्त हुआ है, जो सभी गुणों से भरपूर था । मैं उनके निधन पर अपनी तथा अपने दल की शोक संवेदनाएं आपके माध्यम से उन तक पहुँचाने की प्रार्थना करता हूं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, श्री मोरार जी भाई देसाई के बारे में जो शोकोद्गार माननीय मुख्य-मंत्री, नेता भारतीय जनता पार्टी श्री कल्याण सिंह, नेता कांग्रेस, श्री प्रमोद तिवारी ने व्यक्त किए हैं, मैं अपने को और अपने दल को उन्हीं भावों से संबद्ध करता हूं । मान्यवर, श्री मोरार जी भाई देसाई जी का जन्म 1896 में हुआ था, उन्होंने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद अपना जीवन त्यागा । मान्यवर, श्री मोरार जी भाई देसाई पहले प्रान्तीय सेवा में आए और कुछ वर्ष तक सेवा करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक पद से इस्तीफा दे दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में कूद पड़े । इस लड़ाई के दौरान उन्होंने अनेकों बार जेल की यात्राएं कीं और यातनाओं को सहा तथा देश को आजादी मिलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । वह बम्बई विधान सभा के सदस्य भी रहे, मुख्य मंत्री भी रहे । मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने बम्बई में एक कुशल प्रशासक की छाप छोड़ी, उसके बाद श्री मोरार जी भाई देसाई देश की संसद में आए और संसद में रहकर उन्होंने अनेकों मंत्रालयों, विभागों में मंत्री पद पर काम किया । वाणिज्य मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और यहां तक कि उप प्रधान मंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री भी बने । मान्यवर, ऐसे विरले ही लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश की इतनी बड़ी पैमाने पर सेवा की । श्री मोरार जी देसाई को "भारत रत्न" से विभूषित किया गया था, जब वह देश के प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से ऐसा सहयोग और सद्भावना बढ़ाई कि पाकिस्तान जो तमाम मामलों में भारत का कट्टर विरोधी माना जाता है, ने भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने देश के सर्वोच्च सम्मान "निशान-ए-पाकिस्तान" से सम्मानित किया । वह अकेले ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जिनको एक साथ "भारत रत्न" और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान "निशान-ए-पाकिस्तान" भी मिला । मान्यवर, श्री मोरार जी देसाई अपने सिद्धान्तों के साथ कभी समझौता नहीं करते थे । मान्यवर, जनतंत्र में, वोटों की राजनीति में इतना दृढ़ निश्चयी आदमी विरले ही देखने को मिलता है । श्री मोरारजी देसाई भारत माता के सच्चे सपूत थे । ऐसे व्यक्ति के उठ जाने से हमारा देश बहुत बड़ी कमी महसूस कर रहा है । उनके बम्बई में बैठे रहने से ही इस देश की राजनीति प्रभावित होती थी, लोग उनसे राजनीति चलाने की प्रेरणा लेते रहते थे । ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के निधन से मैं भी दुःखी हूं और मेरा दल भी दुःखी है । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्री मोरार जी देसाई के शोक-संतप्त परिवार तक मेरी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री सी0 पी0 एन0 सिंह बिहार राज्य में पैदा हुए । उन्होंने बिहार के मुजफ्फर-पुर में शिक्षा पायी । उसके बाद उन्होंने अनेकों पदों पर कार्य किया । जापान में भारत के राजदूत रहे, नेपाल में राजदूत रहे । जब जापान में उनका स्वास्थ्य खराब हो

गया तो वह भारत लौट आये स्वास्थ्य लाभ करने के लिए । यहां पर बड़े-बड़े पदों पर सेवायें की । उसके बाद इस प्रदेश के राज्यपाल रहे । उनका कार्यकाल उत्तर प्रदेश में 1980 से 85 तक रहा, उसको हम भुला नहीं सकते । वह ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके बैठने से पद छोटा लगता था । ऐसे व्यक्ति के निधन से मैं और मेरा दल दुःखी है । मेरा आपसे निवेदन है कि श्री सी0 पी0 एन0 सिंह के शोक-संतप्त परिवार तक मेरा और मेरे दल की शोक-संवेदना के शब्द पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री उदल–

मान्यवर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के निधन से एक बहुत बड़े प्रतिभा का धनी व्यक्तित्व हमारे देश में नहीं रहा । स्वर्गीय मोरारजी देसाई नैतिक मूल्यों के बहुत बड़े धनी थे और सिद्धान्तों के पक्के थे । उन्होंने अपने सिद्धान्तों के प्रति कभी किसी से समझौता नहीं किया । आखिरी दिनों तक श्री मोरारजी देसाई चरखा चलाते रहे और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भाषा के क्षेत्र में हिन्दी के बड़े कट्टर समर्थक थे । दो-चार बार मेरी भी उनसे मुलाकात लखनऊ आने पर हुई । हिन्दी को लागू करने में वह हमेशा से दृढ़-प्रतिज्ञ थे । बहुमुखी प्रतिभा के धनी, नैतिक मूल्यों के धनी व्यक्तित्व के हमारे बीच से उठ जाने से मैं समझता हूं कि इस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है । बम्बई में रहते हुए भी उनसे लोग जाकर के प्रेरणा लेते थे । श्री मोरारजी भाई जो कि 100वें वर्ष में प्रवेश किए थे, हमारे बीच से उठ गए । मान्यवर, उन्होंने देश में बड़े-बड़े पदों को सुशोभित किया और जब बम्बई में वह मुख्यमंत्री थे तो वह संयुक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल था । उन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक मद्य-निषेध को लागू किया साथ ही दोनों प्रान्तों में शान्ति-व्यवस्था को कायम किया और इतनी अच्छी सरकार चलायी जिसको आज भी लोग याद करते हैं । इस लिए श्रीमन्, उनके निधन से देश का बहुत बड़ा अहित हुआ है । माननीय नेता सदन तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो शोक-संवेदना के भाव व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को जोड़ते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ओर से जो शोक संवेदना के भाव व्यक्त किए गए हैं, उनको उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

दूसरा, मान्यवर, श्री सी0 पी0 एन0 सिंह जी, हमारे प्रदेश के राज्यपाल थे और वह अन्य प्रान्तों के राज्यपाल भी रहे और राजदूत भी रहे और बहुत से पदों को सुशोभित किया । जब वह इस प्रदेश के राज्यपाल थे, मैं उस समय भी इस आदरणीय सदन का सदस्य था, वह बहुत ही मृदुभाषी थे और मिलनसार थे परन्तु अपने विचारों के बहुत पक्के थे । आज उनके निधन से देश का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे बीच से चला गया । उनके निधन के बारे में माननीय नेता सदन, माननीय कल्याण सिंह, भारतीय जनता पार्टी, माननीय श्री प्रमोद तिवारी, श्री किरनपाल सिंह जी ने जो शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, मैं अपने तथा अपने दल की उससे संबद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि शोक-संवेदना के ये भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक

नोट:–*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहुंचाने का कष्ट करें । (श्री सभापति द्वारा श्री राम स्वरूप सिंह, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा श्री काशी सिंह ऐरी, नेता, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल का क्रमशः नाम पुकारे जाने पर, वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, जब कभी शोक और कष्ट का अवसर आता है तो उस समय भाषा बहुत दूर तक साथ नहीं देती है । क्योंकि भाषा शुद्ध रूप से मन और बुद्धि के तल पर जो कुछ भी घटित होता है, उसके लिए बहुत कमजोर माध्यम है स्वर्गीय श्री मोरारजी. विश्व स्तर के व्यक्ति, नेता तथा समाज सुधारक के संबंध में हमारे जैसे कृतज्ञ और अकिंचन लोग जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कठिनाई होती है । उनका गांधी दर्शन पर अटूट विश्वास था और एक ऐसा भी अवसर आया जब उन्हें लगा कि गांधी दर्शन से कांग्रेस पार्टी हट गई है तो उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया और कांग्रेस पार्टी को यह इशारा किया अपने कठोर आचरण के जरिए कि गांधी दर्शन ही उपयोगी है । इस प्रकार उन्होंने अपने ढंग से देश को एक नया नेतृत्व प्रदान किया । उनके कठोर आचरण के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, एक बार एक विदेशी फिल्मकार श्री रिचर्ड एटनबरी ने गांधी जी के ऊपर एक फिल्म बनाई थी । श्री रिचर्ड एटनबरी स्वर्गीय श्री मोरारजी के पास निवेदन करने गए कि आप हमारी फिल्म का मुहूर्त कर दें । तब उस समय उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन दर्शन में गांधी जी को ज्यादा मानते हैं और हम अपने फिल्म के लिए दिनचर्या को अव्यवस्थित नहीं कर सकते । फिल्म बनाना, उसे प्रदर्शित करना अलग बात है परन्तु उन महापुरुष गांधी जी के सिद्धान्तों को अपने जीवन के कार्य-व्यवहार में लाना दूसरी बात है । श्री मोरार जी महान् थे । इसलिए ऐसे महान नेता के प्रति मैं अपनी ओर से और अपने ग्रुप की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं । इसी के साथ ही साथ इस राज्य के राज्यपाल के दायित्व पर प्रतिष्ठित स्वर्गीय श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह जी के निधन पर भी मैं आदरणीय नेता सदन आदरणीय श्री कल्याण सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी, नेता कांग्रेस आदरणीय श्री किरनपाल सिंह, नेता जनता दल, आदरणीय श्री उदल, नेता, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा व्यक्त शोक संवेदना से अपने को संबद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी शोक संवेदना इन हुतात्माओं के परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री सभापति–

अभी जो माननीय मोरारजी भाई देसाई के प्रति और श्री सी0 पी0 एन0 सिंह जी के प्रति शोकोद्गार नेता सदन तथा अन्य सभी दलों के नेतागण ने व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को और इस सदन को संबद्ध करता हूं । श्री मोरारजी भाई देसाई को एक लम्बा जीवन जीने को मिला । उनका यह शताब्दी वर्ष था लेकिन आज वह हम लोगों के बीच नहीं हैं उनका एक-एक श्वास देश प्रेम से ओतप्रोत था, उनका एक-एक क्षण देश और समाज को समर्पित था, जिन आदर्शों की स्थापना, जिन सिद्धान्तों की संस्थापना मा0 मोरारजी भाई देसाई ने की है उस पर चल कर हमारी भावी पीढ़ी गौरव महसूस करेगी ।

इसी प्रकार इस प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री सी0 पी0 एन0 सिंह जी को इस प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य करने का मौका मिला था उन्होंने प्रदेश की जो सेवा राज्यपाल के रूप में की है वह अविस्मरणीय है ।

इन दोनों महापुरुषों के निधन से जो रिक्तता आई है उसे कहीं से पूरा नहीं किया जा सकता है । इनके निधन से पूरा प्रदेश ही नहीं, उनका परिवार ही नहीं पूरा देश शोकाकुल हुआ है । इन महापुरुषों के प्रति जो भावनाएं, जो शोकोद्गार नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं उन्हें उनके दुखी परिवारजनों तक पहुंचाने का निर्देश देता हूं और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि उनके सम्मान में दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(सभी सदस्य सदन में दो मिनट मौन खड़े हुए ।)

कार्य-मंत्रणा समिति के संबंध में प्रस्ताव को पढ़े जाने पर आपत्ति

श्री भगेलू राम–

मान्यवर, मेरा एक प्रस्ताव है । (व्यवधान)

श्री सभापति–

श्री भगेलू राम जी कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं ?

श्री भगेलू राम–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "चूंकि भारत के संविधान" ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, निधन के निर्देश के बाद परम्परा रही है (व्यवधान) जिनका निधन हुआ है उनमें एक इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे हैं, इसी सदन के वह सदस्य रहे हैं । इसके बाद सदन नहीं चलता है अन्यथा यह उनका अपमान होगा ।

श्री सभापति–

ठीक है, जो कार्य-मंत्रणा समिति की सदन की समाप्ति के बाद बैठक होती थी पर नहीं होगी ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

19 जून, 1995

पी0एस0यू0पी0–एल0 89 वि0सभा (202)–1995–813 प्रतियां ।